महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा-निर्देश 2020

मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण सोसायटी

समेकित बाल संरक्षण योजना मध्यप्रदेश

विषय - सूची

भाग–1

प्रस्तावना एवं पोषण देखरेख के संदर्भ में परिभाषाए

1.1 संक्षिप्त शीर्षक

1.2 प्रस्तावना

1.2.1 राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 तथा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना, 2016

1.3 पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) क्या है

1.3.1 पालन पोषण देखरेख में अवधि के आधार पर प्रकार

1.3.2 पालन पोषण देखरेख में स्थापन

(अ) व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख (इंडीविजुअल फोस्टर केयर)

(ब) सामूहिक पालन पोषण देखरेख (ग्रुप फोस्टर केयर)

1.4 पालन पोषण देखरेख के मूलभूत सिद्धान्त

1.5 परिभाषाएं एवं पारिभाषित शब्दावली

भाग–2

पालन पोषण देखरेख विकल्प, चयन के मापदण्ड, वित्तीय सहायता एवं अधिकार

2.1 पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत पालन पोषण देखरेख के विकल्प

(अ) व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख (IFC-Individual Foster Care)

(ब) सामूहिक पालन पोषण देखरेख (GFC-Group Foster Care)

2.1.1 आपातकालीन पालन पोषण देखरेख (EFC-Emergency Foster Care)

2.2 पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु पात्र बच्चों की श्रेणियॉ

2.3 व्यक्तिगत /सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु पात्र बालक के चयन के मापदण्ड

(अ) ऐसे बच्चे जिनका बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात भी दत्तक ग्रहण नहीं हुआ हैं

(ब) ऐसे बालक, जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया है

(स) ऐसे बालक जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले हैं तथा जो परिवारों में पालन पोषण देखरेख हेतु दिए जा सकते हैं

(द) ऐसे बच्चे जिनका दत्तक ग्रहण के पश्चात विच्छिन्न/विघटन (disruption/dissolution) हो गया हो

2.4 परिवार/ संस्था के चयन हेतु मापदंड

2.4.1 व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार के चयन हेतु मापदंड

(अ) पात्रता की शर्तें

2.4.2 सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु परिवार/ संस्था के चयन हेतु मापदंड

(अ) पात्रता की शर्तें

2.4.3 आपातकालीन पालन पोषण देखरेख (EFC-Emergency Foster Care)

(अ) पात्रता की शर्तें

2.5 व्यक्तिगत / सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु वित्तीय सहायता

2.6 पालन पोषण देखरेख हेतु अतिरिक्त निर्देश

भाग–3

प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की संरचना, बच्चे के स्थापन की प्रक्रिया एवं परामर्श

3.1 प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की संरचना एवं बैठके

3.2 पोषण-देखरेख हेतु बच्चे के स्थापन की प्रक्रिया

3.2.1 बालक के स्थापन की प्रक्रिया

(अ) बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बालक के स्थापन की प्रक्रिया
(ब) समुदाय में रहने वाले बालकों के स्थापन की प्रक्रिया

3.2.2 पालन पोषण करने वाले माता-पिता/ उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं द्वारा स्वप्रेरणा से देखरेख

3.2.3 परामर्श
(अ) संस्थागत देखरेख एवं समुदाय से विस्थापित बालकों को परामर्श
(ब) उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं एवं परिवार को परामर्श
(स) बच्चें एवं उसके जैविक माता-पिता को परामर्श

भाग–4

पालन पोषण सहायता का प्रारंभ एवं समाप्ति

4.1 पालन पोषण देखरेख की शुरूआत

4.2 पालन पोषण देखरेख की समाप्ति

भाग–5

विभिन्न कृत्यकारियों के अधिकार, उत्तरदायित्व एवं विभिन्न विभागों की भूमिका

5.1 विभिन्न कृत्यकारियों के अधिकार
(अ) पालन पोषण देखरेख के तहत् बच्चे के अधिकार
(ब) पालन पोषण करने वाले माता-पिता के अधिकार
(स) उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के अधिकार

5.2 विभिन्न कृत्यकारियों के उत्तरदायित्व
(अ) पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार की देखरेख में रखे गये बालक के प्रति जिम्मेदारियां
(ब) उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ता की जिम्मेदारी

5.3 विभिन्न कृत्यकारियों की भूमिकाएं
(अ) जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की भूमिका
(ब) जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) की भूमिका
(स) संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) की भूमिका
(द) बाल कल्याण समिति की भूमिका

5.4 विभिन्न विभागों की भूमिका
(अ) पुलिस की भूमिका
(ब) श्रम विभाग की भूमिका
(स) शिक्षा विभाग की भूमिका
(द) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भूमिका
(प) गैर- सरकारी संस्थाओं की भूमिका

भाग–6

निगरानी, समीक्षा, अभिलेखों का संधारण, शिकायत निवारण एवं योजना का विस्तार

6.1 समीक्षा एवं निगरानी

6.2 बालक की प्रगति की समीक्षा

6.3 समीक्षा एवं निगरानी का स्तर
6.3.1 राज्य स्तर पर
6.3.2 संभाग स्तर
6.3.3 जिला स्तर पर

6.4 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड
6.4.1 पालन पोषण देखरेख में रखे गये बालक का विवरण-
6.4.2 स्थापना का विवरण

6.4.3 बालक की व्यक्तिगत केस फाईल

6.5 प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

6.6 योजना का मूल्यांकन

6.6.1 राज्य स्तर पर

6.6.2 जिला स्तर पर

6.7 शिकायत एवं निवारण प्राधिकारी

6.8 योजना का विस्तार एवं दिशा-निर्देशों में संशोधन

6.9 सूचना शिक्षा और संचार सामग्री

6.10 दिशा-निर्देशों की व्याख्या एवं छूट

मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा-निर्देश, 2020
{किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 अंतर्गत निर्मित}

भाग—1
प्रस्तावना एवं पोषण देखरेख के संदर्भ में परिभाषाए

1.1 संक्षिप्त शीर्षक -

इन दिशा निर्देशों को मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा निर्देश, 2020 के नाम से उल्लेखित किया जाएगा।

1.2 प्रस्तावना-

पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) के दिशा निर्देशों का उद्धेश्य ऐसे बच्चों को संरक्षण प्रदान करना है, जो पारिवारिक देखभाल से वंचित हैं या जिन्हें पारिवारिक देखभाल मिलने की संभावना न के बराबर है। उक्त दिशा निर्देश, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, समेकित बाल संरक्षण योजना व बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ समझौता, 1989 तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर आधारित है।

भारत में अनौपचारिक रिश्तेदारी देखभाल प्रणाली मजबूत है जिसमें ऐसे बच्चे जिनका परिवार नहीं है या उनका परिवार बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है, उनकी देखभाल विस्तारित या संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। अनेक परिस्थितियों में बच्चे की देखभाल करने हेतु कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है या देखभाल करने हेतु इच्छुक नहीं है, तो ऐसे बच्चे को ऐसे परिवार के साथ रखा जाता है, जो बच्चे के सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/गोत्र से संबंध रखता हो, जिसमें बच्चे के पड़ोसी, माता पिता के मित्र या समुदाय का अन्य कोई सदस्य हो जो बच्चे के माता-पिता को जानते हो, सम्मिलित है। कतिपय परिस्थितियों में ऐसे परिवार में भी बच्चे रह सकते है जो बच्चे के सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/गोत्र से संबंध न भी रखे, लेकिन बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के लिये कृत संकल्पित होते है। गैर-औपचारिक रिश्तेदारी में आवश्यकता अनुसार बच्चे की देखरेख करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है या परिवार को मजबूत बनाने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। अनौपचारिक रिश्तेदारी देखभाल प्रणाली की मूल भावना पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) में सन्निहित है।

1.2.1 राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 तथा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना, 2016

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013[1] यह मानती है कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में अपना विकास करने अधिकार है, साथ ही खुशनुमा वातावरण में प्यार और सम्मान के साथ जिंदगी बिताने का भी अधिकार है। परिवार तथा परिवार का माहौल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिये बहुत आवश्यक है।

वर्ष 2016 में बच्चों के लिए बनाई गयी राष्ट्रीय कार्य-योजना[2] में गैर-संस्थागत देखभाल के महत्व पर जोर दिया गया है। इस कार्य-योजना में प्राथमिकता से बच्चों की सुरक्षा एवं उन्हे पारिवारिक माहौल प्रदान किये जाने को ध्यान में रखते हुये दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण देखरेख और प्रायोजन को सम्मिलित किया गया है। इस कार्ययोजना में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए परिवार एवं समुदाय आधारित व्यवस्था को महत्व प्रदान किया गया है। जागरूकता, नीति निर्माण, अंतर एजेंसी एवं अन्तर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य-योजना में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

[1] राष्ट्रीय बाल नीति, 2013
[2] बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्य-योजना, 2016

1.3 पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) क्या है[3]

पालन पोषण देखरेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें बालकों को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से, असंबंधित परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाता है।

1.3.1 पालन पोषण देखरेख में अवधि के आधार पर प्रकार – पालन पोषण देखरेख के **अवधि के आधार पर निम्नानुसार प्रकार है –**

(अ) 'अल्पावधि के लिए पालन पोषण देखरेख' से अभिप्रेत है वह अवधि जो एक वर्ष से अधिक न हो।

(ब) 'दीर्घावधि के लिए पालन पोषण देखरेख' से अभिप्रेत है वह अवधि जो एक वर्ष से अधिक हो। समिति द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख की कालावधि को एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। समिति द्वारा पालन पोषण करने वाले माता-पिता के साथ बच्चे को रखने की क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर अवधि का निर्धारण कर यह कालावधि बालक की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ाया जा सकता है।

बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखते समय ऐसे परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी, जो बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/गोत्र से संबंध रखते हैं। इसमें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत मामलों के मूल्याकंन के आधार पर पालन पोषण देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

1.3.2 पालन पोषण देखरेख में स्थापन – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को देखरेख और संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति के आदेश से पालन पोषण देखरेख में स्थापन किया जा सकता है, पालन पोषण देखरेख के अंतर्गत बच्चे का स्थापन निम्नानुसार किया जा सकता है[4]–

(अ) **व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख (इंडीविजुअल फोस्टर केयर)**– बालक के जैविक या दत्तक माता-पिता को छोड़कर कोई ऐसा परिवार, जिसका बालक से कोई संबंध नहीं हैं तथा ऐसे परिवार को बालक की अल्पावधि/दीर्घावधि देखरेख के लिए उपयुक्त माना गया है। व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख करने वाले परिवार (IFCF) में, जैविक बच्चों तथा पालन पोषण देखभाल पर लिए गए बच्चों को मिलाकर, बच्चों की संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ब) **सामूहिक पालन पोषण देखरेख (ग्रुप फोस्टर केयर)** – सामूहिक पालन पोषण देखरेख को देखभाल और संरक्षण की जरूरतमंद बालको के लिए उपयुक्त सुविधा/संस्था/उपयुक्त परिवार में परिवार जैसी देखरेख के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य बालक की व्यक्तिगत देखरेख एवं उसे अपनेपन का एहसास, पहचान एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है। फुटपाथ पर निवास करने वाले बच्चों को पालन पोषण देखरेख में भेजने से पूर्व सामूहिक पालन पोषण देखरेख एक उपयुक्त अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में काम करती है। उन्हें यहाँ रखने पर पारिवारिक देखरेख में बिना किसी कठिनाई के भेजने में सहायता मिलती है। इन्हें यहाँ रखने का उदेश्य उन्हें फुटपाथ की संस्कृति से अलग करना है। अतः सामूहिक पालन पोषण देखरेख उस पारिवारिक व्यवस्था की तरह काम करता है जहाँ असम्बद्ध बच्चों को उचित सुविधा में पालन पोषण देखरेखकर्ता की देखरेख में रखा जाता है। सामूहिक पालन पोषण देखरेख अंतर्गत बच्चों के नियत समूह को मान्यता प्राप्त उचित सुविधा (GFCI-Group Foster Care Institution) में अथवा इच्छुक परिवार (GFCF-Group Foster Care Family) में पुनर्वासित किया जाता है। इस प्रकार के संस्था/परिवार में रहने वाले बच्चों की संख्या किसी भी समयावधि में 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अपवादात्मक स्थिति, जो पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित की गयी हो, में भी बच्चों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[3] पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, 2016

[4] झारखण्ड पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु दिशा निर्देश, 2018

सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु संस्था का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत उपयुक्त सुविधा के लिए पंजीकृत होना किन्तु परिवार के सामूहिक पालन पोषण देखरेख में आवेदन करने पर निर्धारित प्रारूप में विस्तृत गृह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी साथ ही परिवार का पुलिस सत्यापन किया जायेगा।

1.4 पालन पोषण देखरेख के मूलभूत सिद्धान्त –

मध्यप्रदेश शासन इस बात के लिये कृत संकल्पित है कि बाल देखरेख की आवश्कता वाले बच्चों का सर्वप्रथम पुनर्स्थापन परिवार में हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) के दिशा निर्देशों का निर्माण किया गया है।

परिवारिक या परिवार जैसा वातावरण बालकों के लिए सबसे आनन्दमय होता है और ऐसे वातावरण में विकास प्रत्येक बालक का अधिकार है। बालक के जैविक परिवार को सुदृढ़ बनाकर, बालक को उसके जैविक परिवार के साथ एक योजनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से, फिर से जोड़ने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाना आवश्यक है।

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए आवश्यक एवं उचित सिद्धान्तों के आधार पर प्रत्येक मामले में सभी निर्णय, पहल एवं दृष्टिकोण अपनाये जायेगें। इस प्रक्रिया में बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जायेगा तथा बच्चों को पूरी प्रक्रिया से अवगत तथा इसके लिए तैयार किया जायेगा। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बाल अधिकारों का सम्मान करते हुए तथा बालक की क्षमता के आधार पर उसके विचारों को महत्व देते हुए सभी निर्णय, पहल एवं दृष्टिकोण अपनाये जायेगें। इस प्रक्रिया में बालक एवं उनके परिवारों/कानूनी अभिभावकों (जहां उपलब्ध हों) की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है।

बालक के भाई-बहन अथवा जुड़वा भाई बहन को एक ही परिवार में पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में रखा जाना चाहिए, ऐसे मामलों में परिवार एवं उपयुक्त सुविधा में रखे जाने वाले बालकों की संख्या की सीमा में छूट दी जा सकती है।

मध्यप्रदेश शासन का यह मानना है कि बच्चे को सबसे पहले परिवार में पुनर्स्थापित किया जाये एवं यही कारण है कि प्रदेश ने विशिष्ट पहल करते हुये प्रदेश के पालन पोषण देखरेख दिशा निदेर्शों में आपातकालीन पालन पोषण देखरेख (इमरजेंसी फोस्टर केयर) के प्रावधानों को सम्मिलित किया है।

1.5 परिभाषाएं एवं पारिभाषित शब्दावली[5] –

इन दिशा- निर्देशों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

1) 'परित्यक्त बालक' से अभिप्रेत है अपने जैविक या दत्तकग्राही माता-पिता या संरक्षक द्वारा परित्यक्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है।
2) 'अधिनियम्' से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 है।
3) 'दत्तकग्रहण' से अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता-पिता से स्थाई रूप से अलग कर दिया गया है और वह अपने दत्तक माता-पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों सहित,जो किसी वैध बालक से जुड़े हो,जैविक बालक बन जाता है। माता पिता का वैध बच्चा होगा।
4) 'पश्चातवर्ती देखरेख' से उन व्यक्तियों कि,जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्य सहायता का उपबन्ध किया जाना अभिप्रेत है।
5) 'बालक का सर्वोतम हित' से बालक के बारे में, उसके के मूलभूत अधिकारों एवं जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास की पूर्ति किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए किये गए किसी विनिश्चय का आधार अभिप्रेत है।

[5] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

6) 'देखरेख करने वाला' से अभिप्रेत है, उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे गये बालक की देखरेख एवं संरक्षण के लिए नियुक्त समस्त कार्मिक।

7) 'बाल देखरेख संस्थान' से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् ऐसे बच्चे, जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, को देखरेख एवं संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत बालगृह, खुला आश्रय, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, विषेश दत्तक ग्रहण एजेंसी एवं उन बालकों की, जिन्हें ऐसी जरूरत है, प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त कोई उपयुक्त सुविधा।

8) 'बालक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। (किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार)

9) 'समिति' से अभिप्रेत है किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति।

10) 'बाल अधिकार अधिवेशन' से अभिप्रेत है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1988।

11) 'जिला बाल संरक्षण इकाई' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 106 के तहत् राज्य सरकार द्वारा जिले में स्थापित बाल संरक्षण इकाई।

12) 'उपयुक्त सुविधा' से अभिप्रेत है, किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र जो किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बालक की अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं एवं ऐसी सुविधा को समिति द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्तता की मान्यता दी गई हों।

13) 'पालन पोषण देखरेख' से अभिप्रेत है किसी बालक का समिति द्वारा बालक के जैविक कुटुम्ब से भिन्न ऐसे किसी कुटुम्ब, जिसका ऐसी देखरेख करने के लिए चयन किया गया है,जिसे अर्हित घोषित किया गया है,जिसका अनुमोदन और पर्यवेक्षण किया गया है,घरेलु वातावरण मे। अनुकल्पित देखरेख के प्रयोजन के लिए रखा जाना ।

14) 'पालन पोषण परिवार' से अभिप्रेत है ऐसा परिवार जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अधिनियम की धारा 44 के अधीन पालन पोषण देखरेख के लिए बच्चों को रखने हेतु उपयुक्त पाया गया है।

15) 'सामूहिक पालन पोषण देखरेख' से अभिप्रेत है देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालकों के लिए, जिसकी पैतृक देखरेख नहीं होती है,कुटुम्ब जैसी ऐसी देखरेख सुविधा अभिप्रेत है,जिसका उद्देश्य कुटुम्ब जैसे और समुदाय आधारित समाधानों के माध्यम से व्यक्तिपरक देखरेख करने तथा सम्बंध और पहचान के बोध को अनुकुल बनाने का है।

16) 'संरक्षक' से अभिप्रेत है, किसी बालक के संबंध में ,उसका नैसर्गिक संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसकी वास्तविक देखरेख में, यथास्थिति,समिति या बोर्ड की राय में,वह बालक है, और जिसे यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा कार्यवाहियों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

17) 'गृह अध्ययन रिपोर्ट' से अभिप्रेत है ऐसा रिपोर्ट जिसमें भावी पालन पोषण माता पिता के विवरण का उल्लेख हो तथा इस विवरण में उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि घर का विवरण, जीवन स्तर, परिवार के सदस्यों के बीच वर्तमान रिश्ते, स्वास्थ्य की स्थिति इत्यादि सम्मिलित होगा।

18) 'रिश्तेदार द्वारा देखभाल' से अभिप्रेत है बच्चे की विस्तारित या संयुक्त परिवार के भीतर देखभाल।

19) 'अनाथ' से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसके जैविक या दत्तक माता-पिता या विधिक संरक्षक नहीं है या जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने के लिए इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है।

20) 'दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख' से अभिप्रेत है वह स्थिति जब दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण के लंबित आदेश तक बच्चे को भावी दत्तक माता-पिता की अभिरक्षा में दिया जाना है।

21) 'विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 65 के अधीन मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा स्थापित संस्थान, जहां बाल कल्याण समिति के आदेश से अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यार्पित बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु रखा जाता है।

22) 'राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 67 के अधीन दत्तक ग्रहण एवं उससे संबंधित मामलों के संबंध मे स्थापित एजेंसी।

23) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है संघ शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ शासित प्रदेश का प्रशासक।

24) 'अभ्यर्पित बालक' से अभिप्रेत है ऐसा बालक जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक कारक जो उनके नियंत्रण से परे है, के कारण त्याग दिया गया हैं और समिति द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

25) 'केस वर्कर' से अभिप्रेत है, पंजीकृत स्वयंसेवी या गैर- सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि, जो कि बोर्ड या समिति में बच्चे के साथ रहेगा तथा बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे गये कार्य करेगा।

26) 'बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली' से अभिप्रेत ऐसी ऑनलाइन प्रणाली, जो दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को सरल बनायेगी तथा इसकी निगरानी करेगी।

27) 'बाल अध्ययन रिपोर्ट' से अभिप्रेत है वह रिपोर्ट जिसमें बच्चे का विवरण यथा जन्म-तिथि एवं सामाजिक पृष्ठिभूमि का उल्लेख हो।

28) 'व्यक्तिगत देखरेख योजना' से अभिप्रेत है, बच्चे की आयु, लिंग एवं विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित एक व्यापक विकास योजना तथा बच्चे के प्रकरण का विवरण, जिसे बच्चे के खोये आत्मसम्मान, गरिमा एवं स्वाभिमान को फिर से प्राप्त करने तथा उक्त योजना के अनुसार उसकी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पालन करने के उद्देश्य से बच्चे के साथ परामर्श कर के तैयार किया गया हैं। इस योजना में बच्चे की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति को सम्मिलित किया जायेगा, जो निम्न तक सीमित है अर्थात-

a) स्वास्थ एवं पोषण संबंधी आवश्यकताएं (विशेष आवश्यकताओं सहित)
b) भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं
c) शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं
d) सृजनात्मकता एवं खेलकूद
e) सभी प्रकार के शोषण उपेक्षा एवं अत्याचार से संरक्षण
f) प्रत्यावर्तन एवं अनुवर्तन
g) समाज की मुख्यधारा से जोड़ना
h) जीवन कौशल प्रशिक्षण

इस दिशा-निर्देश में प्रयुक्त सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं है, उनका अर्थ वहीं होगा, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 नियम में है।

भाग-2

पालन पोषण देखरेख विकल्प, चयन के मापदण्ड, वित्तीय सहायता एवं अधिकार

2.1 पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत पालन पोषण देखरेख के विकल्प -

पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रकार से पालन पोषण देखरेख हेतु बच्चे को लिया जा सकता है -

(अ) **व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख (IFC-Individual Foster Care) –**

व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख के लिये इच्छुक परिवार (IFCF-Individual Foster Care Family) से तात्पर्य है कि ऐसा परिवार जो अपने जैविक बच्चों के साथ अन्य असंबंधित बच्चों की पालन पोषण देखभाल के लिए सहमत हो तथा जिसका चयन इस दिशा निर्देश के बिंदु क्रं 2.4.1 पर अंकित प्रक्रिया अनुसार किया गया हो।

(ब) **सामूहिक पालन पोषण देखरेख (GFC-Group Foster Care) –**

1. संस्था/उपयुक्त सुविधा द्वारा पालन पोषण देखरेख –

सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए मान्यता प्राप्त उचित सुविधा (GFCI-Group Foster Care Institution) से तात्पर्य किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसी संस्था, जो किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बालक की अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं एवं ऐसी संस्था को समिति द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्तता की मान्यता दी गई हों।

2. परिवार द्वारा पालन पोषण देखरेख –

सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिये इच्छुक परिवार (GFCF-Group Foster Care Family) से तात्पर्य है कि ऐसा परिवार जो असंबंधित बच्चों की पालन पोषण देखभाल के लिए सहमत हो तथा जिसका चयन इस दिशा निर्देश के बिंदु क्रं 2.4.2 पर अंकित प्रक्रिया अनुसार किया गया हो।

2.1.1 आपातकालीन पालन पोषण देखरेख (EFC-Emergency Foster Care)[6]

आपातकालीन पालन पोषण देखरेख की आवश्यकता उन बच्चों के लिए है, जिन्हें एक रात या कुछ दिनों के लिए अस्थाई रूप से पालन पोषण देखरेख की आपातकालीन स्थिति में जरूरत हो। इस तरह की परिस्थितियां सप्ताहांत के दिनों में या किसी अनापेक्षित या आकस्मिक समय में आ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में पालन-पोषण देखरेख हेतु चयनित परिवारों का आपातकालीन पालन-पोषण देखरेख के कार्य करने हेतु आकस्मिक रूप से सूचना प्राप्त होने पर तैयार होना आवश्यक है, इस उद्देश्य के लिए संबंधित घरों में आपातकालीन पालन-पोषण देखरेख हेतु पृथक से एक कक्ष की व्यवस्था होना चाहिए। परिवारों के सदस्यों से सामंजस्यपूर्ण वातावरण की अपेक्षा की जाती है।

आपातकालीन पालन-पोषण देखरेख की आवश्यकता निम्न परिस्थितियों में हो सकती है:-

1. बच्चे के माता-पिता को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया हो
2. बच्चे के परिवार में उसकी सुरक्षा खतरे में हो
3. बच्चे के माता-पिता की किसी भी कारणवश आकस्मिक मृत्यु हो गयी हो
4. बच्चे के माता-पिता किसी आपातकालीन परिस्थितियों में फंस गये हो
5. अन्य आपातकालीन स्थितियां जिसमें बच्चों का तुरंत व्यवस्थापन आवश्यक हो।

आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चे बहुत घबराये हुए या संभ्रमित हो जाते हैं उन्हें प्यार, दुलार एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि वे ऐसी गंभीर परिस्थिति में संभल जाएं और हौसला न खोएं। आपातकालीन पालन-पोषण देखरेख ऐसे बच्चों को स्थिरता एवं सुरक्षितता प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शासन की मंशा है कि बच्चे का सर्वप्रथम स्थापन, चाहे वह कुछ घण्टों से लेकर कुछ दिनों तक ही क्यो न हो, प्राथमिकता से परिवार में ही हो। आपातकालीन पालन-पोषण देखरेख में बच्चे को सामान्यतः 01 सप्ताह हेतु रखा जा सकता है और विशेष परिस्थिति में, परिवार द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर अथवा परिवार की सहमति से अवधि को अधिकतम 01 माह के लिए बढाया जा सकता है। अवधि में वृद्धि हेतु बाल संरक्षण अधिकारी के अनुमोदन से बाल कल्याण समिति द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। यदि बच्चा 30 दिवस से अधिक समय के बाद भी नियमित पालन पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण अथवा जैविक परिवार में में जाने की स्थिति में नहीं है तो बच्चे को किसी उपयुक्त सुविधा अथवा संस्था में नियमानुसार प्रवेशित करने की कार्यवाही की जावेगी। आपातकालीन पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा बच्चे की देखरेख करने के दौरान सुरक्षा व संरक्षण की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावेगी।

[6] The *Care Planning, Placement and Case Review (England) Regulations 2010*

2.2 पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु पात्र बच्चों की श्रेणियॉ [7]

1) 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे सामान्यतः दीर्घावधि के लिए पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अनुरुप दत्तक ग्रहण के माध्यम से स्थाई परिवार उपलब्ध कराया जाएगा।
2) बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत 6 से 18 वर्ष के बच्चों को उनकी व्यक्तिगत योजना के आधार पर पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) में रखा जाएगा।
3) ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर रुप से बीमार हैं, को माता-पिता द्वारा बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चों के पालन पोषण में असमर्थता व्यक्त कर आवेदन करने पर, पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) में रखा जाएगा।
4) संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) के माध्यम से जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित ऐसे बच्चे, जो शारीरिक, भावनात्मक, लैंगिक हिंसा, प्राकृतिक आपदा या घरेलू हिंसा से ग्रस्त हैं या जिनके माता-पिता मानसिक बीमार या बच्चों के पालन पोषण में असमर्थ हैं, अथवा माता/पिता जेल में हैं को पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) में रखा जाएगा।
5) माता पिता मृत हो गये या बच्चों को परित्यक्त कर दिया।

2.3 व्यक्तिगत /सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु पात्र बालक के चयन के मापदण्ड[8] —

(अ) ऐसे बच्चे जिनका बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात भी दत्तक ग्रहण नहीं हुआ हैं-

बाल कल्याण समिति द्वारा योग्य बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किये जाने के एक निश्चित समयावधि पश्चात् भी दत्तक ग्रहण न होने की स्थिति में, ऐसे बालकों को पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापना हेतु योग्य माना जायेगा। उक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की जाती है -

1. आयु 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिये 2 वर्ष
2. आयु 8 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये 1 वर्ष
3. विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिये 1 वर्ष

विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य द्वारा विशेष सामूहिक पालन पोषण देखरेख को प्रोत्साहन करने सहित विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बालकों इस तरह की देखरेख व्यवस्था करने हेतु प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रयास किये जायेगें। यदि बालकों के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता देते हुये समयसीमा में 6 माह की वृद्धि की जा सकती है।

1. विशेष आवश्यकता वाले बालकों का पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन का निर्धारण पालन उपलब्ध कराने वाले परिवार की बालकों का प्रबंधन करने की क्षमता के आधार पर किया जायेगा साथ ही पालन पोषण देखरेख हेतु बालक को लेने वाले परिवार के घर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।
2. इसी प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बालकों का सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापना का निर्धारण उपयुक्त सुविधा में ऐसे बालकों हेतु आवश्यक सुविधा की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

[7] पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, 2016
[8] पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, 2016

(ब) ऐसे बालक, जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया है-

दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख के अतिरिक्त यदि बालक पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार के साथ न्यूनतम 5 वर्ष अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के आदर्श नियम अनुसार निर्धारित समय सीमा में, जो भी न्यूनतम हो, की अवधि में निवास करता है तो ऐसे परिवार द्वारा बालक के दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन किया जा सकता है। पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले ऐसे माता-पिता हेतु दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के तहत् निर्मित बाल दत्तक संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली अथवा विभागीय एम.आई.एस. पर पंजीकृत करना होगा।

(स) ऐसे बालक जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले हैं तथा जो परिवारों में पालन पोषण देखरेख हेतु दिए जा सकते हैं -

i. असाध्य बीमारी से ग्रसित माता-पिता, जिनके द्वारा अपने बालक की देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया है।
ii. जिनके माता-पिता मानसिक रूप से बीमार है तथा बालक की देखभाल करने में असमर्थ है।
iii. जिनके माता या पिता दोनों जेल में है।
iv. जो बच्चे विगत 3 वर्षों से संस्था में निवासरत हैं और जिनके माता-पिता बालक की देखभाल करने में असमर्थ है।

(द) ऐसे बच्चे जिनका दत्तक ग्रहण के पश्चात विच्छिन्न/विघटन (disruption/dissolution) **हो गया हो**

ऐसे बच्चे जिनका दत्तक ग्रहण के पश्चात किसी कारण से दत्तक ग्रहण परिवार से बारंबार विच्छिन्न/विघटन हो गया हो, तो उन्हें आवश्यक परामर्श सुनिश्चित करने के पश्चात पालन पोषण देखरेख में प्राथमिकता से लिया जाएगा।

2.4 परिवार/ संस्था के चयन हेतु मापदंड-

2.4.1 व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार के चयन हेतु मापदंड[9] –

अधिनियम की धारा 44 (2) के अनुसार पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार का चयन परिवार की योग्यता, नियत, क्षमता एवं बच्चों की देखभाल का पूर्व अनुभव के आधार पर किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार का चयन निम्नलिखित मापदंडो पर विचार किया जा सकता है-

(अ) पात्रता की शर्तेंः-

i. पति-पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना तथा बालक की पालन पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए इच्छुक होना।
ii. पति-पत्नी दोनों की न्यूनतम संयुक्त आयु 70 वर्ष एवं अधिकतम संयुक्त आयु 110 वर्ष होना तथा एकल माता-पिता की न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष होना व उनका शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना। साथ ही, पालन पोषण देखरेख पर लिए जाने वाले बालक की आयु तथा पालन पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए इच्छुक पति/पत्नी की आयु (जिसकी भी न्यूनतम हो) में अंतर कम से कम 20 वर्ष होना।
iii. आर्थिक सक्षमता।

[9] पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, 2016

iv. किसी प्रकार की आपराधिक प्रकरण में लिप्त न होना ।

v. पति-पत्नी एवं परिवार में निवासरत सभी सदस्य शारीरिक रूप से स्वस्थ हो एवं उन्हें किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी यथा - ह्यूमन इम्यूनोंडेफीसिएंसी वायरस (एच.आई.वी), टयूबरक्लोसिस (टी.बी) एवं हेपेटाइटिस बी तथा अन्य रोग जैसे कैंसर इत्यादि न हो। इसके लिये शारीरिक स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र आवश्यक है।

vi. उपयुक्त जगह एवं आधारभूत सुविधाएं का होना।

vii. डॉक्टर की नियमित विजिट, बालक का स्वास्थ एवं उसकी रिपोर्ट इत्यादि हेतु परिवार की सहमति होना।

viii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आयोजित पालन पोषण देखरेख उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु सहमति होना ।

ix. एकल माता जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है, किसी भी बालक/बालिका को लेने के लिए पात्र हैं किन्तु एकल पुरूष जिसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है केवल बालक लेने के लिए पात्र है।

x. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवश्यकतानुसार पालन पोषण करने वाले परिवार को नजदीकी विद्यालय में बालक का नामांकन करवाना अनिवार्य होगा।

2.4.2 सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु परिवार/ संस्था के चयन हेतु मापदंड[10] —

सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु परिवार/ संस्था द्वारा आवेदन किया जाकर सामूहिक पालन पोषण देखरेख का संचालन किया जा सकता है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु परिवार/संस्था, उपयुक्त सुविधा का चयन करते समय निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जायेगा -

(अ) पात्रता की शर्तेंः-

i. प्रासंगिक अधिनियम के तहत संस्था का पंजीकृत होना आवश्यक है साथ ही संस्था का स्वयंसेवी संगठन के रूप में नीति आयोग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहिये, किन्तु यदि परिवार के द्वारा संस्था का संचालन किया जा रहा है तो विस्तृत गृह अध्ययन रिपोर्ट जो निर्धारित प्रपत्र 30 में अंकित है तथा पुलिस सत्यापन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा करवाया जायेगा।

ii. सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बालकों का स्थापन के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में बाल कल्याण समिति द्वारा मान्यता प्राप्त होना।

iii. बाल संरक्षण नीति का होना।

iv. उपयुक्त सुविधा में सभी देखरेख प्रदानकर्ताओं की चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए, जिसमें ह्यूमन इम्यूनोंडेफीसिएंसी वायरस (एच.आई.वी), टयूबरक्लोसिस (टी.बी) एवं हेपेटाइटिस बी तथा अन्य रोग जैसे कैंसर इत्यादी सम्मिलित है जिससे उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने को निर्धारित किया जा सके।

v. देखरेख प्रदानकर्ता पर किसी प्रकार की आपराधिक दोषसिद्धि या अभियोग का नही होना चाहिए।

vi. जगह की आवश्यकता-बालकों के समूह के आवास लिए (अधिकतम 8 बच्चों के लिए) पर्याप्त उपयुक्त सुविधाएं अगर बालक-बालिका दोनों के लिए एक साथ उपयुक्त सुविधा है, तो उनकी निजता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं एवं स्थान का होना तथा पर्याप्त जगह एवं उचित सुविधाओं का होना।

vii. घर में व्यवस्थित रसोई, भोजन कक्ष, घर के बाहर खुला व पर्याप्त स्थान, सुरक्षा प्रबंध, सी सी टी व्ही कैमरा आदि की व्यवस्था होना चाहिए। 8 बच्चों की स्थिति में न्यूनतम 3 शौचालय व 3 बाथरूम तथा निवास हेतु न्यूनतम 3 कक्ष, गतिविधि व मनोरंजन कक्ष भी होने चाहिए।

viii. परिसर दिखने में संस्थागत के बजाय घर जैसा होना चाहिए तथा पारिवारिक वातावरण होना चाहिए।

ix. सामूहिक पालन पोषण देखरेख की उपयुक्त सुविधा ऐसे स्थान पर हो की जहां से स्थानीय संपर्क हो सके।

[10] पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, 2016

x. देखरेख प्रदानकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर की जायेगी।
xi. देखरेख प्रदानकर्ताओं का बच्चों के साथ समानुभूति तथा जुड़ाव होना चाहिए।
xii. पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ताओं को सेवा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
xiii. देखरेख प्रदानकर्ताओं की सेवानिवृति की नीति होनी चाहिए।
xiv. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवश्यकतानुसार पालन पोषण करने वाले उपयुक्त सुविधा को नजदीकी विद्यालय में बालक का नामांकन करवाना अनिवार्य होगा।
xv. संगठन/गैर- सरकारी संगठन, जिसके द्वारा किसी बाल देखरेख संस्थान का संचालन किया जा रहा है, उस जिले में सामूहिक पालन पोषण देखरेख का संचालन नही कर सकेगा

2.4.3 आपातकालीन पालन पोषण देखरेख (EFC-Emergency Foster Care)

(अ) पात्रता की शर्तेंः-

i. पति-पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना तथा बालक की पालन पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए इच्छुक होना।
ii. शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना।
iii. आर्थिक सक्षमता।
iv. किसी प्रकार की आपराधिक प्रकरण में लिप्त न होना।
v. उपयुक्त जगह एवं आधारभूत सुविधाएं का होना।
vi. डॉक्टर की नियमित विजिट, बालक का स्वास्थ एवं उसकी रिपोर्ट इत्यादि हेतु तथा आकस्मिक सूचना पर बच्चे को रखने हेतु परिवार की पूर्व सहमति होना।

2.5 व्यक्तिगत / सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु वित्तीय सहायता[11] –

बाल देखरेख संस्थान के अन्तर्गत पंजीकृत उपयुक्त सुविधा में प्रति बालक के लिए प्रतिमाह 2000 रूपये का प्रावधान है एवं बालक की उच्च शिक्षा हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहयोग दिया जा सकता है। उपयुक्त सुविधा राज्य सरकार से संदर्भित मामले में अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध कर सकती है।

उचित अनुमोदन के पश्चात बालक की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध करने की स्थिति में पालन पोषण करने वाले माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में न्यूनतम 2000 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा । उक्त वित्तीय सहायता किशोर न्याय निधि या केन्द्रीय एंव राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या कार्यक्रम से भी प्रदान की जा सकती है। सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापित बालकों के लिए भी 2000 रूपये का वित्तीय मापदंड लागू होगा। उक्त वित्तीय सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 3 वर्षो में संशोधित की जा सकती है।

आपातकालीन पालन पोषण देखरेख हेतु चिन्हाकित परिवार, बालकों के सर्वोत्तम हित के लिये अपनी सहमति प्रदान करते हैं एवं उनके परिवार में आपातकाल की स्थितियों में बच्चों का पुनर्वास कुछ घण्टों/कुछ दिनों के लिये ही होता है एवं आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के ही चयन होने से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता अपेक्षित नही है।

2.6 पालन पोषण देखरेख हेतु अतिरिक्त निर्देश -

i. व्यक्तिगत देखरेख हेतु एक समय में एक परिवार में दो से अधिक बालकों को नहीं रखा जायेगा, किंतु सहोदरों हेतु छूट दी जा सकेगी।
ii. अपवादात्मक प्रकरणों में, केवल भाई-बहनों को प्राथमिकता से एक साथ एक परिवार या उपयुक्त सुविधा में रखा जायेगा।

[11] पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, 2016

iii. आवश्यकता अनुसार पालन पोषण देखरख हेतु जैविक माता-पिता की सहमति प्राप्त की जायेगी।

iv. यदि पालन पोषण करने वाले परिवार में विशेष आवश्यकता वाला जैविक बालक है तो, ऐसे परिवार में पालन पोषण हेतु किसी विशेष आवश्यकता वाले बालक की स्थापना नहीं की जायेगी। इस स्थिति मे विशेष जरूरत वाले बालक की स्थापना, विशेष सुविधाओं वाली उपयुक्त सुविधा में की जावेगी।

v. यथासंभव बालकों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश एवं जाति से संबंध रखने वाले पालन पोषण करने वाले परिवारों में स्थापित किया जायेगा।

vi. यथासंभव सामूहिक पालन पोषण देखरेख में 6 से अधिक व 12 वर्ष से कम एवं 12 से अधिक व 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक सुविधाएं संचालित की जायेगी।

vii. आपातकालीन पालन पोषण देखरेख हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम तीन आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें बालकों के सर्वोत्तम हित के सम्बंध में परामर्श दिये जाने के पश्चात सहमति प्राप्त की जायेगी एवं उसकी सूची बाल कल्याण समिति को दी जायेगी।

viii. आपातकालीन पालन पोषण देखरेख में बालक को परिवार के पास रखने के तुरंत/एक दिन के भीतर ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी को अवगत कराना होगा।[12]

ix. आपातकालीन पालन पोषण देखरेख में बालक को परिवार के पास रखने अवधि कुछ घण्टों से लेकर 6 कार्य दिवस तक हो सकती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में बाल कल्याण समिति के द्वारा इसे 2 माह तक बढाया जा सकता है।[13]

x. व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख में परिवार में स्थापना हेतु कुल बालकों की संख्या की गणना करते समय उनके उन्हीं जैविक बच्चों को, जो कि उस आवास में निवासरत हैं, को ही सम्मिलत किया जाए तथा उनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें गणना में शामिल न किया जाए। यदि परिवार में 16 वर्ष या अधिक का बालक निवासरत है तो वह परिवार बालिका को पालन पोषण देखरेख में लेने हेतु पात्र नहीं होगा।

xi. सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु भी सहोदरों के मामले में भाई-बहन को एक साथ परिवार/संस्था में रखने हेतु अधिकतम कुल संख्या में छूट दी जा सकेगी।

भाग-3

प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की संरचना, बच्चे के स्थापन की प्रक्रिया एवं परामर्श

3.1. प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की संरचना एवं बैठके

3.1.1 प्रत्येक जिले में योजना के तहत् प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) का गठन किया जायेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें [14]-

1.	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर	- अध्यक्ष
2.	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	- सचिव
3.	अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति	- सदस्य
4.	सहायक संचालक (आईसीपीएस)	- सदस्य
5.	संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख)	- सदस्य
6.	संरक्षण अधिकारी(गैर -संस्थागत देखरेख)	- सदस्य
7.	बाल देखरेख संस्था का प्रतिनिधि	- सदस्य

[12] Department for Education, *Fostering Services: National Minimum Standards*, England 2011, p.p. 13-32

[13] Department for Education, The Children Act 1989 Guidance and Regulations England (Vol. 4, p.p.14)

[14] मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन (स्पॉसरशिप) दिशा निर्देश, 2020

3.1.2 समिति द्वारा प्रत्येक माह में अनिवार्यतः बैठक आयोजित की जायेगी एवं यथासंभव अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है किन्तु अपरिहार्य कारणों से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव बैठक संचालित करेंगें किन्तु बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्योत्तर अनुमोदन अध्यक्ष के द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

3.1.3 समिति के द्वारा 30 दिनों के अंदर प्रकरणों का निराकरण किया जाना आवश्यक होगा।

3.1.4 कोरम हेतु कम से कम चार सदस्य आवश्यक है जिसमें एक सदस्य अध्यक्ष/सचिव का होना अनिवार्य है ।

3.2 पोषण-देखरेख हेतु बच्चे के स्थापन की प्रक्रिया –

3.2.1 जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई नोडल इकाई है। पालन पोषण देखरेख में बच्चे के स्थापन से संबंधित सभी निर्णय बाल कल्याण समिति द्वारा इकाई की अनुशंसा पर तथा प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात लिये जायेगें। बालक के स्थापन की प्रक्रिया निम्नानुसार है -

(अ) बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बालक के स्थापन की प्रक्रिया :-

1. व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना -

a) केस वर्कर /सामाजिक कार्यकर्ता/ परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक बालक की किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के निर्धारित प्रारूप 7 के अनुसार व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी।

b) व्यक्तिगत देखरेख योजना की समय-समय पर बालक की आवश्यकता एवं बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जायेगी।

2. बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना -

पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु चिन्हित प्रत्येक बच्चे की किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 31 के अनुसार विस्तृत बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

3. पालन पोषण देखरेख में बच्चे के स्थापन की अनुशंसा -

i. व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर बाल देखरेख संस्थान के बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ऐसे बालक की अनुशंसा की जायेगी, जिनको पालन पोषण देखरेख के तहत लाभान्वित किया जा सकता है।

ii. बाल देखरेख संस्थान के प्रभारी द्वारा इन दिशा-निर्देशों के पैरा 2.3 में चिन्हित ऐसे बालक, जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात भी दत्तक ग्रहण में नहीं दिया गया है, के सहित पालन पोषण देखरेख हेतु पात्रता रखने वाले बच्चों की सूची जिला बाल संरक्षण इकाई को अग्रेषित की जाएगी।

4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार की पहचान करना

i. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार की पहचान करने के लिय एवं अभिभावकों से आवेदन प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जायेगी -

अ. विज्ञापन के माध्यम से - विभिन्न समाचार-पत्रों में पालन पोषण देखरेख हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

ब. **मैदानी अमले के माध्यम से** - समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत कार्यरत मैदानी अमले के माध्यम से इच्छुक व पात्र अभिभावकों का चयन किया जाएगा।

स. **ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से** - विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध पालन पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) हेतु दिशा निर्देश में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर किसी भी पात्र माता-पिता/एकल माता-पिता द्वारा पालन पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर "पब्लिक डोमेन" में उपलब्ध विकल्प में क्लिक कर संपर्क करने पर संबंधित जिले के अधिकारियों द्वारा अभिभावकों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। निर्धारित आवेदन (पालन पोषण देखरेख आदर्श दिशा निर्देश, 2016 के प्रारुप - क अनुसार) में आवश्यक जानकारी भरकर तथा निम्नानुसार दस्तावेजों को पालन पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) हेतु अभिभावकों के द्वारा अपलोड किया जाएगा। पुलिस सत्यापन, संबंधित जिले के अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।

आवश्यक दस्तावेजः-

1. पति-पत्नी का फोटोग्राफ
2. जन्म प्रमाण हेतु दस्तावेज (10 वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र/ आधारकार्ड/ वोटर आई डी)
3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज
4. विवाह प्रमाण पत्र (एकल माता/पिता की स्थिति में लागू नहीं)
5. आधार कार्ड
6. आय संबंधी प्रमाण हेतु गत वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति
7. पति-पत्नी के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र।

ii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा-निर्देशों के भाग-2 के पैरा 2.4 के मापदंडो के आधार पर आवेदकों का चयन किया जायेगा। पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार के साथ साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा, जो कि भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार के मूल्यांकन में सहायक होगा। पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रारूप-ख में तैयार की जायेगी।

iii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार द्वारा संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार समुदाय के 2 सम्मानित व्यक्तियों से पुष्टि की जायेगी।

iv. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार का आकंलन करने के पश्चात, ऐसे परिवार की बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्षमता को आंका जायेगा। यह देखना आवश्यक होगा कि बच्चे के पालन पोषण देखरेख के लिए मिलने वाली राशि पर परिवार निर्भर नहीं है। मूल्यांकन के बाद सभी मापदंड से संतुष्ट है तथा केवल वित्तीय सहायता की परिवार को आवश्यकता है, और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो मामला इस प्रयोजन हेतु जिले में गठित प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को अनुशंसित किया जायेगा। विशेषकर उच्च अध्ययन के मामलों में आवश्यकतानुसार बाद में
भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

v. परिवार में घर के विभिन्न कामकाज हेतु घरेलू नौकर/नौकरानी के कार्य करने की स्थिति का आकलन गृह भेंट के दौरान जॉच कर किया जाएगा।

vi. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार का एक रोस्टर/पैनल तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष इन परिवारों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली पोषण देखरेख का विवरण बाल कल्याण समिति को बच्चें के स्थापन हेतु अग्रेषित किया जावेगा।

vii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन की तैयारी की जायेगी।

पालन पोषण करने वाले माता-पिता एवं पालन पोषण में दिये जाने वाले बालकों आपस में मिलाने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी तथा इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी। बाल कल्याण समिति को पत्र के साथ उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जावेगा।

viii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को अग्रेषित करने के पूर्व पालन पोषण हेतु चिन्हित परिवार को संबंधित विषय जैसे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे, बच्चे की संभावित पृष्ठभूमि, पालन पोषण देखरेख/अभिभावक से आशय तथा एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता से अपेक्षाएं इत्यादि से अवगत कराया जायेगा तथा इसे प्रमाणित करते हुए बाल कल्याण समिति को अग्रेषित किये जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किया जायेगा।

ix. आपातकालीन पालन पोषण देखरेख करने वाले परिवारों का चयन के मापदण्ड अनुसार पूर्व से ही चिन्हाकन किया जायेगा एवं इनसे लगातार जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जाता रहेगा। इस परिवार के नवीनतम दूरभाष क्रमांक भी जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाइन के पास अवश्य रहेंगे।

5. पालन पोषण करने वाले परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना -

बाल कल्याण समिति द्वारा भावी पालन पोषण करने वाले परिवार की सूची प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 को प्रारूप 30 में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जायेगें।

6. पालन पोषण करने हेतु बच्चे के स्थापन करने का अंतिम आदेश -

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा मिलान रिपोर्ट के आधार पर भावी पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे के स्थापन करने की अनुशंसा की जायेगी तथा बाल कल्याण समिति **द्वा**रा बच्चे के स्थापन के लिए अंतिम आदेश जारी किये जायेगें।

7. पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे का स्थापन -

i. भावी पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बालक के मिलान के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से बालक एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को एक माह की अवधि के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में बातचीत करने हेतु एक बैठक करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात पालन पोषण करने वाले परिवार के घर की विजिट कराई जायेगी तथा परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाया जायेगा।

ii. समिति के अंतरिम आदेश के पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे की अनुकूलता का मूल्यांकन एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं, मूल्यांकन रिपोर्ट 15 दिन के भीतर बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

iii. यदि पालन पोषण करने वाले परिवार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो ऐसे मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी तथा 30 दिनों के भीतर प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति से अनुशंसा प्राप्त की जायेगी एवं मामले को पुनः बाल कल्याण समिति को अंतिम आदेश हेतु भेजा जायेगा।

8. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा की पहचान करना -

i. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा- निर्देशों के भाग 2 के पैरा 2.4.2 के मापदंडो के आधार पर बच्चों को रखने हेतु इच्छुक उपयुक्त सुविधा की पहचान की जायेगी।

ii. इसी तरह, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा का संचालन करने वाले संगठन के पदाधिकारियों एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख में देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ साक्षात्कार किये जायेगें तथा इसी दौरान सुविधाओं एवं देखरेख प्रदानकर्ताओं का मूल्यांकन किया जायेगा।

iii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख के माध्यम से संचालित उपयुक्त सुविधा के संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार समुदाय के सम्मानित 2 व्यक्तियों से पुष्टि की जायेगी।

iv. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा-निर्देशों के पैरा 2.4.2 के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम के तहत् पंजीयन, उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता, बाल सुरक्षा नीति,देखरेख प्रदानकर्ताओं की चिकित्सा रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन इत्यादि का प्रति-परीक्षण किया जायेगा।

v. संस्था होने की स्थिति में नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकरण की भी जांच की जायेगी।

vi. यदि विदेश से धन/राशि प्राप्त किया जा रहा है, तो एफ.सी.आर.ए पंजीकरण की जांच की जावेगी।

vii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को अग्रेषित करने से पूर्व उपयुक्त सुविधा के मुख्य देखरेख प्रदानकर्ता को संबंधित विषय जैसे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे, बच्चे की संभावित पृष्ठभूमि, पालन पोषण देखरेख/अभिभावक क्या है तथा एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता से अपेक्षाएं इत्यादि से अवगत कराया जायेगा। इसे प्रमाणित करते हुए बाल कल्याण समिति को अग्रेषित किये जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किया जायेगा।

9. उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता का बच्चे के मिलान कराना -

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा के निरीक्षण, बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ बच्चे की अनुकूलता के आधार पर सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चे स्थापन करने की अनुशंसा की जायेगी।

10. उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चे का स्थापना -

उपयुक्त सुविधा के भावी देखरेख प्रदानकर्ता के साथ बालक के मिलान के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरित आदेश के माध्यम से बच्चे एवं देखरेख प्रदानकर्ता को सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में बातचीत करने हेतु एक मीटिंग करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात उपयुक्त सुविधा की विजिट कराई जायेगी तथा बालक से मिलवाया जायेगा।

11. समिति द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन के अन्तिम आदेश से पूर्व की प्रक्रिया -

बालक की स्थापना प्रक्रिया को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ एवं विशेष प्रशिक्षित द्वारा बाल हितैषी पद्धति से क्रियान्वित किया जायेगा।

12. बाल कल्याण समिति द्वारा अंतिम स्थापना आदेश -

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुकूलता की रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 32 में बच्चे के पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु अंतिम आदेश दिये जायेगें तथा उचित कार्यवाही हेतु इसकी प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।

ऐसे मामलों में जहां कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है, बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरिम आदेश पारित के 15 दिनों के भीतर अंतिम आदेश प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की सिफारिश के आधार पर दिये जायेगें।

ऐसे मामलों में जहां वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, बाल कल्याण समिति द्वारा सामान्यतः अंतरिम आदेश पारित करने के 30 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।

13. पालन पोषण करने वाले माता-पिता/ देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा वचनबद्धता -

पालन पोषण करने वाले माता-पिता एवं उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ता द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 33 में बालक के पालन पोषण देखरेख करने हेतु बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

(ब) समुदाय में रहने वाले बालकों के स्थापन की प्रक्रिया :-

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता पैदा की जायेगी तथा माता-पिता की सहायता के बिना जीवन यापन करने वाले बालकों की पहचान की जायेगी । ऐसे बालकों की सूची तैयार कर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जावेगा तथा जिले में ऐसे बालकों की स्थिति को जानने हेतु रिपोर्ट बनाया जावेगा। ऐसे बालकों का बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु चयन किया जा सकता है।

बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु आगामी प्रक्रिया में, पालन पोषण देखरेख हेतु बालक की पहचान एवं अनुशंसाय पालन पोषण करने वाले परिवारों एवं उपयुक्त सुविधाओं की पहचान, भावी पालन पोषण करने वाले परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना, बालकों के साथ मिलान, पालन पोषण देखरेख में स्थापन एवं भाग 2 के पैरा 2. 3 से 2.6 के अनुसार उपयुक्त सुविधा का सामूहिक पालन पोषण देखरेख में, देखरेख प्रदानकर्ताओं एवं पालन पोषण करने वाले माता-पिता का बंधपत्र पर हस्ताक्षर होना सम्मिलित हैं।

3.2.2 पालन पोषण करने वाले माता-पिता/ उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं द्वारा स्वप्रेरणा से देखरेख -

बालक को तत्काल देखरेख की आवश्यकता की स्थिति में उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ता एवं पालन पोषण करने वाले परिवार, स्वप्रेरणा से बच्चे की देखरेख कर सकते हैं तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता हैं। बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक आंकलन के पश्चात निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त सुविधा का सामूहिक पालन पोषण देखरेख या पारिवारिक पालन पोषण देखरेख बच्चे के स्थापन के लिए 30 दिनों के भीतर निर्णय बाल कल्याण समिति द्वारा लिया जायेगा। स्वप्रेरणा देखरेख के अन्तर्गत उन वंचित बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें विशेष परिवार आधारित देखरेख सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे- तस्करी वाले बच्चें, यौन हिंसाओं या दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चें, हिंसा से प्रभावित बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे इत्यादि शामिल है।

3.2.3 परामर्श -

(अ) संस्थागत देखरेख एवं समुदाय से विस्थापित बालकों को परामर्श -

बालक को संस्थागत देखरेख से परिवार या उपयुक्त सुविधा में ले जाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है जिसके लिये वातावरण तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षों से संस्था मे रह रहे बालक का परिवार में स्थापन, बालक के लिये तनावपूर्ण हो सकता है तथा इसे दूर करने के लिए बालक को गहन परामर्श की आवश्यकता होती है। पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा में बालक का अंतिम स्थापन से पूर्व अंतरिम अवधि में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा देखरेख की जाना अत्यंत आवश्यक है। बालक की उम्र (विशेष रूप से बड़े बालकों के मामले में) स्थापन करने का कारण, परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, माता-पिता के जेल में होने या गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने इत्यादि घटकों को दृष्टिगत रखते हुये स्थापन हेतु बालकों को इसके लिए तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।

(ब) उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं एवं परिवार को परामर्श

जिन संस्थाओं/परिवारों को सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त माना गया है उनके देखरेख प्रदानकर्ता/संस्था प्रबंधक को भी परामर्श आवश्यक है जिससे उन्हें न केवल बालक की देखरेख की समस्त जिम्मेदारियों के निवर्हन हेतु सक्षम बनाया जा सके, वरन् परिवार/संस्था में पूर्व से निवासरत अन्य बच्चों/जैविक बच्चों का नवीन प्रवेशित बच्चों से आपसी सामन्जस्य हो सके। इसी प्रकार आपातकालीन पोषण देखरेख हेतु चिन्हाकित परिवारों को भी उचित परामर्श दिया जायेगा।

(स) बच्चें एवं उसके जैविक माता-पिता को परामर्श

बालक को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिये योजनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से बालक के जैविक परिवार को सुदृढ़ बनाकर, बालक को उसके जैविक परिवार (अगर जीवित है और इच्छा हो) के साथ फिर से जोड़ने हेतु और बच्चों को वापस लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु परामर्श दिया जाना होगा।

स्थापना से पूर्व एवं स्थापना के दौरान जैविक माता-पिता एवं पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा के देखरेरख प्रदानकर्ता के परामर्श तथा मिलान की प्रक्रिया के दौरान परामर्श उपलब्ध कराने के लिए मॉड्यूल मॉडल प्रारूप ग-1 से ग-4 में क्रमशः तैयार किये गए है।

भाग-4

पालन पोषण सहायता का प्रारंभ एवं समाप्ति

4.1 पालन पोषण देखरेख की शुरूआत[15] —

अनुमोदन के पश्चात बच्चे की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता की अनुशंसा करने के पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बालक को पालन पोषण करने वाले परिवार के निवास तक सुरक्षित पहुचाने की व्यवस्था की जायेगी। यदि वित्तीय सहायता की आवश्यकता न हो तो भी बालक को पालन पोषण करने वाले परिवार के निवास तक सुरक्षित पहुचाने की व्यवस्था की जानी होगी।

प्रत्येक त्रैमास के प्रारम्भ में वित्तीय सहायता की राशि जिला बाल संरक्षण इकाई के बैंक खाते से बालक के नाम पर बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। इस खाते का संचालन बच्चे एवं पालन पोषण करने वाले माता पिता द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा और संस्था की स्थिति में संस्था के बैंक खाते में राशि जमा की जायेगी। संस्था की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था द्वारा व्यय का सामान्य विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

4.2 पालन पोषण देखरेख की समाप्ति[16] —

i. बाल कल्याण समिति को, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति की अनुशंसा पर परिवार अथवा उपयुक्त सुविधा के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत की जांच जिला बाल संरक्षण अधिकारी से कराने के पश्चात्, पालन पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) समाप्ति का अधिकार होगा।

ii. बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) की समाप्ति के पूर्व पालन पोषण करने वाले परिवारों/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ताओं द्वारा रखे गये मुद्दो को ध्यान में रखते हुए लिखित रूप में नोटिस दिया जायेगा।

iii. बाल कल्याण समिति द्वारा समीक्षा कर पालन पोषण करने वाले परिवारों/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ताओं को नोटिस देने के पश्चात स्थापना समाप्त किये जाने के कारण एवं तिथि को लेखबद्ध करते हुए आदेश जारी किया जावेगा। साथ ही बालक को किसी अन्य उपयुक्त पालन पोषण देखरेख परिवार या उपयुक्त सुविधा की सामूहिक देखभाल पालन या बाल देखरेख संस्थान में स्थापना हेतु आदेश जारी किये जायेगें।

[15] पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, 2016

[16] पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, 2016

iv. निम्नलिखित स्थितियों में पालन पोषण देखरेख की समाप्ति की जा सकती है-

a) बालक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर या पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में सहभागी होने का विकल्प चयनित करने पर पालन पोषण देखरेख को समाप्त माना जायेगा। वित्तीय सहायता के स्थानान्तरण हेतु बालक एवं पालन पोषण करने वाले माता के नाम से खोले संयुक्त बैंक खाते को केवल बालक के नाम में स्थानांतरित किया जाएगा।

b) जिन बालकों को जैविक माता-पिता पालन पोषण हेतु उपलब्ध न होने (जैसे- जेल में बन्द होने या किसी मानसिक बीमारी के कारण किसी संस्थान में आवासरत होने) के कारण पालन पोषण देखरेख में रखा गया था, ऐसे बच्चों के जैविक माता-पिता द्वारा जेल छूट जाने/स्वस्थ होने के पश्चात बाल कल्याण समिति से बच्चों को अपने पास रखने हेतु अनुरोध किया जाता है तथा समिति बालक को उसके जैविक माता-पिता से पुर्नमिलन को उपयुक्त मानती है, तो समिति द्वारा ऐसे बालक के संबंध में विशिष्ट आदेश पारित किया जा सकता है।

c) यदि 6 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विधिक रूप से स्वतंत्र बालक, जिन्हे पालन पोषण देखरेख में स्थापना के दौरान उपयुक्त दत्तक परिवार मिल जाता है, तो बाल कल्याण समिति द्वारा बालक की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उसकी पालन पोषण देखरेख समाप्त कर सकती है तथा उसे दत्तक ग्रहण हेतु बालगृह में भेजा जायेगा। बालक की असहमति की दशा में संबंधित पालन पोषण देखरेख परिवार को परामर्श दिया जायेगा कि बच्चे को उनके द्वारा दत्तक ग्रहण पर लिए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से की जाये।

d) यदि पालन पोषण देखरेख के संबंध में बालक या उसके रिश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों के द्वारा शिकायत की गई है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उचित जांच के पश्चात पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा को भेंट दी जावेगी। उक्त विजिट के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान मे रखा जायेगा-

1. बालकों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है या स्कूल में बालक की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है (विशेष परिस्थितियां जैसे-विकलांगता या बालक की बीमारी/कोविड 19 को अपवाद माना जायेगा)
2. यदि पालन पोषण देखरेख में बालक के शारीरिक, भावनात्मक, लैगिंक शोषण या उपेक्षा की गई है/ की जा रही है अथवा बालक से घर का ऐसा कार्य कराया जा रहा है जो श्रम अधिनियम के दायरे के बाहर हो तो भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य प्रचलित कानून जैसे पॉक्सो अधिनियम 2012, श्रम अधिनियम 1986, किशोर न्याय अधिनियम 2015 व अन्य संबंधित कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
3. पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा बालक को मिलने वाली पालन पोषण वित्तीय सहायता का दुरूपयोग किया गया हैं।

v. यदि पालन पोषण देखरेख के संबंध में बालक, पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता या रिश्तेदारों द्वारा कोई शिकायत या अनुरोध किया गया है या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा की विजिट के दौरान ध्यान में आने पर-

a) परामर्श के पश्चात भी पालन पोषण करने वाले माता-पिता या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता व बालक एक साथ रहने हेतु असमर्थ है।

b) पालन पोषण करने वाले माता-पिता या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक एवं विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त नहीं हैं।

c) उपयुक्त सुविधा में बालक समायोजित करने में असमर्थ है तथा उसे विशेष सहायता की आवश्यकता है जैसे- नशामुक्ति की सुविधा।

vi. पालन पोषण करने वाले माता-पिता की मृत्यु, तलाक या अलग होने की स्थिति में बालक को बाल कल्याण समिति द्वारा किसी अन्य पालन पोषण करने वाले परिवार एवं उपयुक्त सुविधा में स्थापना आदेश दिये जाने तक उसे बाल देखरेख संस्थान में वापस भेज दिया जाएगा।

vii. यदि पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) पर लिए गए बच्चे के शोषण की शिकायत सत्य पाए जाने योग्य प्रतीत होती है, बच्चे को तत्काल संरक्षण में लिया जाना चाहिए ओर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, बच्चे के स्थानांतरण का उचित आदेश जारी किया जाना चाहिए।

viii. पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) करने वाले माता-पिता के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा उनका नाम भविष्य में पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में शामिल किया जाएगा।

ix. असत्य व अनैतिक आधार पर पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु पात्र पाए गए परिवार की स्थिति में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति और बाल कल्याण समिति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

भाग 5

विभिन्न कृत्यकारियों के अधिकार, उत्तरदायित्व एवं विभिन्न विभागों की भूमिका

5.1 विभिन्न कृत्यकारियों के अधिकार —

(अ) पालन पोषण देखरेख के तहत् बच्चे के अधिकार -

i. बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख में रखे गये बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जावेगा। यथासंभव बालक के विचारों का सम्मान करते हुए स्थापना एवं व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जावेगी।

ii. बच्चा अपने जैविक परिवार की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा वह अपने परिवारों के सदस्यों से मिल सकता हैं।

iii. बालक को उससे संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा साथ ही अपना विकास करने हेतु उन योजनाओं तक पहुँच बनाने का भी अधिकार होगा।

iv. बच्चे के जीवित रहने, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता के अधिकारों को संरक्षित किया जायेगा।

(ब) पालन पोषण करने वाले माता-पिता के अधिकार -

i. सुनवाई एवं सम्मान का अधिकार।

ii. उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव न होने का अधिकार।

iii. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत एक बालक को दत्तक ग्रहण का अधिकार। म.प्र. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम के प्रभावी होने पर उसमें उल्लेखित निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत एक बालक को दत्तक ग्रहण का अधिकार प्राप्त होगा।

(स) उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के अधिकार -

i. सुनवाई एवं सम्मान का अधिकार।

ii. उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार।

iii. प्रशिक्षण एवं परामर्श प्राप्त करने का अधिकार।

iv. अपने पद से त्याग पत्र देने का तथा प्रोव्हीडेंट फंड आदि पाने का अधिकार।

5.2 विभिन्न कृत्यकारियों के उत्तरदायित्व -

(अ) पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार की देखरेख में रखे गये बालक के प्रति जिम्मेदारियां-

i. बालक को पर्याप्त भोजन एवं कपड़े, सुरक्षित निवास एवं शिक्षा प्रदान करना।

ii. बालक का समग्र शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित करना।

iii. बालक की विकास की आवश्यकताओं एवं बालक की रूचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

iv. बालक की उच्च शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान करना।

v. बच्चे का शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं दुरूपयोग से संरक्षण सुनिश्चित करना तथा उसके बारे में अद्यतन जानकारी रखना।

vi. बालक एवं उसके जैविक परिवार या अभिभावक की गोपनीयता का सम्मान करना तथा उनके बारे में प्रदान की गई जानकारी गोपनीय रखना तथा तत्संबंध में पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य के साथ साझा न करना।

vii. आपातकालीन परिस्थितियों में उपचार उपलब्ध कराना तथा जिला बाल संरक्षण इकाई, बालक के जैविक परिवार तथा बाल कल्याण समिति को इस संबंध में सूचित करना ताकि आवश्यकता अनुसार समिति द्वारा आदेश जारी किये जा सकते है।

viii. बाल कल्याण समिति एवं बालक के जैविक परिवार के साथ घर एवं विद्यालय में समायोजन के संबंध में प्रगति से संबंधित जानकारी साझा करना तथा समय-समय पर चर्चा करना। समिति के निर्दशानुसार बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

ix. बालक एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिकों के मध्य संपर्क कराने मे सहयोग करना।

x. बालक के सर्वोतम हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति के परामर्श से बालक एवं उसके जैविक परिवार के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।

xi. पालन पोषण देखरेखकर्ता द्वारा अपने जैविक बच्चे एवं पालन पोषण देखरेख में रखे गये बालक के या पालन पोषण देखरेख प्राप्त कर रहे बच्चों के मध्य भेदभाव नहीं करना।

xii. बच्चे की चिकित्सा के गंभीर मामले, जैसे शल्य प्रक्रिया एवं ऐनिस्थेसिया के उपयोग के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से बाल कल्याण समिति से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करना।

xiii. यदि बालक द्वारा पलायन किया जाता है तो तद्संबंध में समिति को सूचना देना।

xiv. बालक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या बालक स्वयं को हानि पहुंचाता है या उसके द्वारा कोई अपराध घटित होता है तो इन मामलों में बाल कल्याण समिति/प्रयोजन एवं पालन पोषण देखरेख एवं अनुमोदन समिति को सूचित करने पर जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे से संपर्क कर प्रतिवेदन, अनुमोदन समिति को प्रस्तुत करेगी।

xv. प्रयोजन एवं पालन पोषण देखरेख एवं अनुमोदन समिति के आदेश पर बच्चे की अभिरक्षा का त्याग करना।

xvi. पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार द्वारा अगर बच्चे को किसी अन्य स्थान पर किसी दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाता है, तो इस संबंध में पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार द्वारा बाल कल्याण समिति से अनुमति लेनी होगी तथा सूचित किया जाना होगा।

xvii. बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करना।

(ब) उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ता की जिम्मेदारी-

उपयुक्त सुविधा में भोजन, बोर्डिग, आवास, शिक्षा प्रदान करने एवं देखरेख के मानकों को बनाए रखने के अतिरिक्त देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा यह किया जायेगा -

i. बाल कल्याण समिति एवं बच्चे के जैविक परिवार के साथ घर एवं विद्यालय में समायोजन में बच्चे की प्रगति से संबंधित जानकारी साझा करना तथा समय -समय पर चर्चा करना। समिति के निर्देशानुसार बच्चे की समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

ii. बालक एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिकों के मध्य संपर्क कराने मे सहयोग करना।

iii. बालक के सर्वोतम हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति की परामर्श से बालक एवं उसके जैविक परिवार के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।

iv. बच्चे की चिकित्सा के गंभीर मामले, जैसे शल्य प्रक्रिया एवं ऐनिस्थेसिया के उपयोग के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समिति से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करना।

v. यदि बालक द्वारा पलायन किया जाता है तो तद्संबंध में समिति को सूचना देना।

vi. बालक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या बालक स्वयं को हानि पहुंचाता है या उसके द्वारा कोई अपराध घटित होता है तो इन मामले में बाल कल्याण समिति/प्रयोजन एवं पालन पोषण देखरेख एवं अनुमोदन समिति को सूचित करने पर जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे से संपर्क कर प्रतिवेदन अनुमोदन समिति को प्रस्तुत करेगी।

vii. बच्चे को जीवन कौशल, व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण (14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को) उपलब्ध कराने के प्रयास में सहयोग करना।

viii. बच्चे को आत्मनिर्भर बनने हेतु तैयार करना। (17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को)

ix. बच्चे को परामर्श सहायता उपलब्ध कराना।

5.3 विभिन्न कृत्यकारियों की भूमिकाएं-

(अ) जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की भूमिका-

जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी-

i. पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रशासनिक कार्यो सहित बाल संरक्षण संबंधित सभी गतिविधियों का संपादन करना।

ii. मानदंडो के आधार पर पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम हेतु कार्य करने वाली उचित स्वयसेवी संस्था/स्वैच्छिक संगठन/पालन पोषण देखरेख पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान कर एक पैनल तैयार करना जिसमें स्वयंसेवी संस्था का सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन समुदायिक नेतृत्व की पहल पर काम करने का अनुभव अधिकतर परिवार को सुदृढ बनाने एवं गैर-संस्थागत देखभाल कार्यक्रम एवं संस्था/संगठन में बाल संरक्षण नीति का होना सम्मिलित हैं।

iii. आपातकालीन पालन पोषण देखरेख हेतु दिशा निर्देश के पैरा 2.4.3 से 2.6 के अनुसार परिवारों का चयन गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर करना, बाल कल्याण समिति से अनुमोदन कराना, तथा परिस्थितियॉं निर्मित होने पर परिवार के साथ संपर्क कर बालक को आपातकालीन पालन पोषण देखरेख का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करना तथा आवश्यकतानुसार पालन पोषण देखरेख की अवधि में वृद्धि करना।

iv. पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबंधित सभी सूचनाओं का संधारण करना एवं जिले में सभी बाल देखरेख संस्थानों एवं विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के लिए संपर्क केन्द्र के रूप में कार्य करना ।

v. जिले में संस्थानों एवं विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की सहायता से पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम पर हितधारकों जैसे बाल कल्याण समिति, स्वयंसेवी संस्था, पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता इत्यादि के लिए एडवोकेसी, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना।

vi. बालक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पालन पोषण देखरेख (पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख) में रखे गये बालक सहित पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के विवरण का डाटाबेस राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये पोर्टल पर संधारित करना।

vii. बालक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संयुक्त बैंक खाते को बालक के नाम स्थानांतरित करना।

viii. पालन पोषण करने वाले माता-पिता का आधार नंबर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करना, ताकि इससे स्थापना के दौरान एवं स्थापना के पश्चात बालक की ट्रेकिंग की जा सके। यदि माता-पिता के पास पूर्व से ही पंजीकृत आधार नम्बर है, तो उनके आधार विवरणों से बालकों को जोड़ना।

ix. जांच/अन्वेषण एवं हस्तक्षेप के माध्यम से शिकायतों का निवारण करना ।

x. जिले में नियमित रूप से पालन पोषण देखेरख कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

xi. भाग 4 के पैरा 4.2 में उल्लेखित एक या अधिक कारणों के लिए बाल कल्याण समिति को पालन पोषण देखरेख स्थापना की समाप्ति हेतु अनुशंसा करना।

xii. यदि बालक की प्रगति संतोषजनक है एवं बालक को उसके जैविक माता-पिता के साथ रखने सहित अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने की स्थिति में पालन पोषण देखरेख स्थापना की अवधि का विस्तार किये जाने की अनुशंसा करना।

xiii. परिवारों को पालन पोषण देखरेख हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी) गतिविधियों का आयोजन करना।

xiv. वर्ष में दो बार पालन पोषण करने वाले माता-पिता की संवादात्मक समूह बैठक आयोजित करना।

xv. पालन पोषण देखरेख में रखे बालकों से संबंधित जानकारी मासिक स्तर पर बाल संरक्षण सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीपी एमआईएस) में अपलोड करना।

xvi. जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शदाता द्वारा पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालकों को परामर्श सेवांए प्रदान करना। यदि बालक को विशेष परामर्श, मनोरोग संबंधी परामर्श एवं मनौवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है तो विशेषज्ञों की सेवाऍं उपलब्ध करना।

xvii. राज्य स्तर से सौपे गये समस्त कार्य।

(ब) जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) की भूमिका-

i. जिला बाल संरक्षण अधिकारी पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा तथा चालू प्रकरणों में संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) से नियमित रिपोर्ट प्राप्त करेगा। जिला बाल संरक्षण अधिकारी पालन पोषण देखरेख पर बालक को लेने वाले परिवारों हेतु एकल खिडकी प्रणाली स्थापित करेगा जिससे परिवार को बच्चे की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, गृह अध्ययन रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट तथा पालन पोषण देखरेख का अंतिम आदेश एक साथ प्राप्त हो सके तथा परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पडे।

ii. पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए चयनित भावी पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधाओं का एक रोस्टर संधारित करेगा।

iii. समय-समय पर संरक्षण अधिकारी, परामर्शदाता एवं जिला संरक्षण इकाई में कार्यरत अन्य कार्मिकों द्वारा किये गये केस प्रबंधन के संबंध में समीक्षा करेगा ताकि समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण किया जा सके।

iv. पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु चयनित पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ता की पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत बालक के प्रति जिम्मेदारियों एवं सहयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा ।

v. प्रयोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट एवं स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

vi. पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता फैलाने तथा समुदाय स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैरा लीगल वॉलेन्टियर को तैयार करनें के लिये जिला विधिक सहायता प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।

(स) संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) की भूमिका-

i. संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) व्यक्तिगत एवं सामूहिक पालन- पोषण देखरेख के प्रकरणों को लेने के लिए जिम्मेदार है। इन दिशा - निर्देशों के पैरा 2.3 स के अनुसार अधिकारी (संस्थागत देखरेख) बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बालकों के मामलों की पहचान में सहयोग प्रदान करेगा।

ii. संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) द्वारा बालक या बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समन्वय के साथ कार्य किया जायेगा।

iii. संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) बाल संरक्षण समस्याओं के विभिन्न आयाम, सहयोग की आवश्यकता वाले बालकों की संख्या, संस्था में रहने वाले बालकों की संख्या, बालकों की आवश्यकता के अनुसार सेवाओं का प्रकार इत्यादि संबंधी जानकारी एकत्रित एवं संकलित करेगा।

iv. संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) राज्य सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल पर समस्त संस्थागत देखरेख कार्यक्रमों के चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम की स्थापना एवं प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

v. संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) पालन पोषण करने वाले परिवार की गृह अध्ययन रिपार्ट एवं बच्चे

की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त सुविधा का आंकलन करेगा।

vi. संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) आवश्यकतानुरुप ऐसे बालक, जिनके माता-पिता जेल में है, तक पहुंचकर बालक के पालन पोषण देखरेख में स्थापना के लिए उनकी सहमति प्राप्त करेगा।

vii. संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) असाध्य बीमारी से ग्रसित ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष अपने बच्चों के लिए पालन पोषण देखरेख के साथ जोड़ने के लिए अनुरोध किया गया है, के संबंध में कार्यवाही करेगा।

viii. संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा पालन पोषण देखरेख हेतु अनुशंसित बालकों एवं ऐसे बालक जो संस्थागत देखरेख में नहीं है, की संयुक्त सूची तैयार करेगा।

ix. जहां पालन पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा बच्चे के स्थापना हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है एवं गैर-औपचारिक रिश्तों में बच्चे की देखरेख हेतु प्रायोजन की आवश्यकता है, ऐसे मामले को प्रति माह प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखेगा।

x. संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा इन दिशा-निर्देशों के भाग-3 के पैरा 3.2.3 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालन पोषण देखरेख की अवधि के दौरान एवं पूर्व बालक एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा।

xi. संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा परामर्शदाता, जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता एवं समुदाय के वॉलन्टियर्स (स्वयंसेवकों) की सहायता से, बालक की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पर्यवेक्षण करेगा।

xii. संबंधित विभाग जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के साथ समन्वय करेगा।

xiii. बच्चे के जैविक माता-पिता के जीवित रहने की स्थिति में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) जैविक माता-पिता के साथ बच्चे का संपर्क सुनिश्चित करेगा।

xiv. संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालन पोषण करने वाले परिवार या समूह आधारित पालन पोषण या संस्थागत पालन पोषण की निगरानी कर रिकॉर्ड संधारित करेगा।

(द) बाल कल्याण समिति की भूमिका-

i. यदि परिवार द्वारा असाध्य बीमारी होने के कारण, बाल कल्याण समिति को अपने बालक की पालन पोषण देखरेख हेतु अनुरोध किया गया है या समिति द्वारा स्वप्रेरणा से ऐसे बालकों का चिन्हांकन किया गया है तथा इन प्रकरणों में यदि समिति सहमत है, तो समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को स्वयं या पैनल में उपलब्ध परामर्शदाताओं के माध्यम से बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु अनुरोध करेगी।

ii. भावी पालन पोषण करने वाले परिवारों की गृह अध्ययन रिपोर्ट की जांच एवं उपयुक्त सुविधा की सुविधाओं के विवरण से संतुष्ट होने के पश्चात किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 32 के अनुसार बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु आदेश जारी करेगी।

iii. बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना का परीक्षण कर, आवश्यकतानुसार माता-पिता की सहमति प्राप्त कर तथा वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया गया है, तो प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख समिति के अनुमोदन का परीक्षण कर, स्वयं पालन पोषण देखरेख हेतु स्थापना के संबंध में संतुष्ट होगी।

iv. बालक के समझने में सक्षम होने के मामलें में, बाल कल्याण समिति द्वारा बालक की सहमति प्राप्त करने हेतु बच्चे का साक्षात्कार किया जायेगा।

v. समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत मिलान रिपोर्ट पर विचार कर समय सीमा में समुचित निराकरण किया जायेगा व इकाई को निराकरण से अवगत कराया जायेगा।

vi. बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण आदर्श नियम 2016) में निर्धारित प्रारूप 32 अनुसार बालक के पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण

देखरेख में स्थापन हेतु आदेश दिये जायेगें तथा उचित कार्यवाही हेतु इसकी प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।

vii. बालकों को दी जाने वाली देखरेख की समीक्षा करने के पश्चात स्थापन के विस्तार हेतु आदेश दिये जायेंगे तथा देखरेख असंतोषजनक पाये जाने के प्रकरणों में पालन पोषण देखेरेख में स्थापन की समाप्ति के आदेश देकर बालक के वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था का निर्णय लिया जायेगा।

5.4 विभिन्न विभागों की भूमिका -

(अ) पुलिस की भूमिका-

i. पालन पोषण करने वाले माता-पिता को विधिक अभिभावक मान्यता देना।
ii. भावी पालन पोषण करने वाले परिवार की पृष्ठभूमि की जांच करना।
iii. शिकायत/जांच प्रक्रियाओं में तत्काल कार्यवाही करना।
iv. सामुदायिक पहुंच के माध्यम से पालन पोषण देखरेख की जागरूकता फैलाना।
v. परिवार/उपयुक्त सुविधा की पात्रता के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करना।

(ब) श्रम विभाग की भूमिका -

पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा द्वारा बच्चे के संबंध में बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर, विभाग द्वारा तत्काल प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(स) शिक्षा विभाग की भूमिका -

i. पालन पोषण करने वाले परिवार को विद्यालय (सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, और किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान) में बच्चों को प्रवेश (दाखिला) देने की अनुमति देना। यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में अधिसूचना जारी करना।
ii. दत्तक/पालन पोषण सेवा/प्रायोजन से जुड़े बालकों को सक्रिय रूप से शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखना।
iii. पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से जुड़े बालकों की निगरानी करने के लिए सामुदायिक तंत्र को सम्मलित करना। बालक द्वारा विद्यालय में न जाने या अनियमित जाने या छोड़ने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अवगत कराना
iv. पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत बालक की विद्यालय में उपस्थिति की रिपोर्ट मासिक स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करना।

(द) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भूमिका-

i. भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता की 1 महीने के भीतर निःशुल्क चिकित्सा जांच सुनिश्चित कर जिला बाल संरक्षण समिति के साथ रिपोर्ट साझा करना।
ii. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के) की सेवाओं का विस्तार कर, पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चों को निःशुल्क उपचार प्रदान करना।
iii. ए.एन.एम. द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चों की नियमित पोषण जांच करना तथा जांच रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक प्रबंधन करने हेतु रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण समिति के साथ साझा करना।
iv. बच्चे की उम्र अनुसार नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करना।

(प) गैर- सरकारी संस्थाओं की भूमिका-

i. पात्र बच्चों का चयन करना।
ii. व्यक्तिगत देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना ।

iii. आवश्यकतानुसार बालक, पालन पोषण करने वाले माता-पिता/ उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं बालक के जैविक परिवार हेतु परामर्श उपलब्ध कराना।
iv. उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता का प्रशिक्षण करना।
v. सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करना।
vi. पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की जागरूकता में वृद्धि करना तथा समर्थन करना।

भाग–6

निगरानी, समीक्षा, अभिलेखों का संधारण, शिकायत निवारण एवं योजना का विस्तार

6.1 समीक्षा एवं निगरानी

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा स्वयं या बाल देखरेख संस्थान के कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थापित बालक के सर्वोत्तम हित की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा बालक के पालन पोषण देखरेख में स्थापना के विस्तार एवं समाप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

i. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 34 के अनुसार पालन पोषण देखरेख में रखे गये प्रत्येक बालक का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।
ii. बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के हित में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 35 के अनुसार पालन पोषण करने वाले परिवार एवं उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ता का मासिक निरीक्षण किया जायेगा।
iii. प्रारुप घ (1) व घ (2) के अनुसार पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चों द्वारा अत्याचार, दुर्व्यवहार एवं शोषण के सबंध में की गई शिकायत की जाँच करना एवं हस्तक्षेप की निगरानी करना।
iv. पालन पोषण देखरेख के लिए शिकायत हेतु प्रारूप ड़ (1) में तथा जॉच के लिए प्रारूप़ ड़ (2) तैयार किये गये है। उक्त संबंध में कम्प्यूटरीकृत डाटा संधारित करना।

6.2. बालक की प्रगति की समीक्षा

जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर सरकारी संगठन या इकाई द्वारा चिन्हित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार का प्रारंभिक 6 माह तक तथा उसके पश्चात पालन पोषण देखरेख पूर्ण होने तक निम्नानुसार रिकॉर्ड संधारण सुनिश्चित किया जायेगा-

i. पालन पोषण देखरेख के तहत प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जायेगी तथा उसे नियमित संधारित किया जाएगा।
ii. प्रथम त्रैमास में मासिक स्तर पर विद्यालय विजिट तथा उसके पश्चात 3 वर्ष तक त्रैमासिक विजिट एवं उसके पश्चात पालन पोषण देखभाल देखरेख में स्थापना पूर्ण होने तक प्रत्येक 6 माह में विजिट की जावेगी।
iii. बालक के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक वातावरण के संबंधित जानकारी प्राप्त की जावेगी।
iv. बालक की प्रगति के आधार पर पालन पोषण देखरेख का विस्तार या समाप्त करने की अनुशंसा की जायेगी

6.3 समीक्षा एवं निगरानी का स्तर :-

6.3.1 राज्य स्तर पर –

i. स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की निगरानी एवं समीक्षा की जावेगी।
ii. समस्त कृत्यकारियों को आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा।
iii. पालन पोषण देखरेख के तहत प्राप्त राशि को जिले की आवश्यकता के अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई को आवंटित करना।
iv. अन्य विभागों के साथ समन्वय कर योजना का सुदृढीकरण करने हेतु प्रयास करना।

6.3.2 संभाग स्तर -

i. संभाग के समस्त जिलों में कार्यक्रम की निगरानी एवं समीक्षा की जावेगी।
ii. संभाग के समस्त जिलों में समस्त कृत्यकारियों को आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन ।
iii. पालन पोषण देखरेख के तहत जिलें को प्राप्त राशि के व्यय की समीक्षा ।
iv. संभागीय समीक्षा बैठकों में सम्पूर्ण कार्यक्रम की समीक्षा ।
v. अन्य विभागों के साथ समन्वय कर योजना का सुदृढीकरण करने हेतु प्रयास करना।

6.3.3 जिला स्तर पर –

i. जिला बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष द्वारा प्रतिमाह पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की समीक्षा की जावेगी।
ii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन करना।
iii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम प्रारम्भ होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के समग्र विकास सुरक्षा एवं परिवारों का क्षमतावर्धन करना।
iv. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए परिवारों कों परामर्श और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
v. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अन्य विभागों के साथ समन्वय करना एवं बच्चों के परिवार को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु समस्त शासकीय योजना यथा खाद्य, आवास, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, आदि का लाभ प्रदान करवाये जाने हेतु पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम वाले बच्चों की सूची समस्त संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाना एवं विभिन्न विभागों के अर्न्तगत संचालित रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम/प्रशिक्षण से जोड़ना।
vi. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबधित बच्चों की जानकारी को प्रति माह चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी.पी.एम.आई.एस) में अद्यतन किया जायेगा।
vii. जिला बाल संरक्षण समिति (डीसीपीसी) एवं राज्य बाल संरक्षण समिति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
viii. जिला स्तर पर बच्चो का समेकित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना।
ix. प्रत्येक दो माह में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम में गये बच्चों का फॉलोअप संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत) द्वारा गृहभेंट कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति/बाल कल्याण समिति एवं राज्य स्तर पर प्रस्तुत करेंगे।

6.4 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विभिन्न वास्तविक या कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड संधारित किये जायेंगे। पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम के तहत बालकों का एक मास्टर रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें सम्पूर्ण प्रक्रियाओं को अलग-अलग अंकित किया जायेगा।

6.4.1 पालन पोषण देखरेख में रखे गये बालक का विवरण-

i. बालक, पालन पोषण करने वाले माता-पिता/सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं बालक के जैविक माता-पिता (यदि है तो) के फोटो एवं स्थापना के समय बालक की आयु (जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो)
ii. लिंग
iii. अभिभावकों की स्थिति
iv. प्रत्येक वर्ष नवीन फोटो

v. बालक का आधार कार्ड

6.4.2 स्थापना का विवरण–

i. व्यक्तिगत या सामूहिक
ii. बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार स्थापना की तिथि एवं अवधि
iii. स्थापना की अवधि विस्तार या निरस्तीकरण का कारण एवं तिथि, यदि लागू हो,
iv. वित्तीय सहायता एवं कारणों सहित पालन पोषण अनुदान के वितरण का विवरण।

6.4.3 बालक की व्यक्तिगत केस फाईल–

पालन पोषण देखरेख में रखे गये प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत केस फाईल संधारित की जायेगी, जिसमें निम्न को सम्मिलित किया जायेगा।

i. बालक को कहां से रेफर किया गया है
ii. बालक के जैविक परिवार के गृह अध्ययन रिपोर्ट तथा फोटो (यदि लागू हो)
iii. पालन पोषण करने वाले परिवार के फोटो सहित गृह अध्ययन रिपोर्ट
iv. पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के साथ बालक के मिलान की रिपोर्ट
v. बाल अध्ययन रिपोर्ट
vi. व्यक्तिगत देखरेख योजना
vii. बाल कल्याण समिति का पालन पोषण देखभाल स्थापना के संबंध में आदेश
viii. बालक के संबंध में पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार एवं विद्यालय सहित प्रत्येक दौरे का विवरण (संख्या एवं महत्वपूर्ण विवरण सहित)
ix. बालक के स्थापना के बारे में उसके द्वारा दिये गए सुझाव, विचार एवं उसके अनुभव इत्यादि का विवरण
x. बालक की स्थापना की समीक्षा का विवरण, जिसमें अवलोकन, विस्तार, देखभाल योजना सहित गुणवत्ता का अनुपालन, बालक के विकास के मापदण्ड, बालक की शैक्षणिक प्रगति एवं पारिवारिक वातावरण में कोई बदलाव इत्यादि का रिकार्ड संधारित करना।
xi. स्थापना का विस्तार एवं समाप्ति, सामाप्ति के कारण एवं तिथि
xii. बालक के पालन पोषण देखभाल परिवार में स्थापना के दौरान किये विजिट के रिकार्ड संधारण प्रारूप 'च' के अनुसार किया जायेगा।

6.5 प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना–

जिला बाल संरक्षण इकाई या इकाई द्वारा नामित या इकाई द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक बालक की त्रैमासिक रिपोर्ट समीक्षा हेतु प्रायोजन पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति तथा अनुशंसा हेतु बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

6.6 योजना का मूल्यांकन – पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम में योजना का मूल्यांकन दो स्तर पर किया जावेगा :-

6.6.1 राज्य स्तर पर –

राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति (एससीपीसी) द्वारा प्रति वर्षयोजना का मूल्यांकन किया जाकर कठिनाईयों को दूर किया जावेगा।

6.6.2 जिला स्तर पर -

जिला स्तर पर योजना का मूल्यांकन जिला बाल संरक्षण समिति (डीसीपीसी) द्वारा किया जाकरयोजना के संबध में आने वाली समस्याओं, सुझावों एवं अनुशंसाओं का प्रतिवेदन, राज्य बाल संरक्षण समिति (एससीपीसी) को प्रेषित किये जावेगे।

6.7 शिकायत एवं निवारण प्राधिकारी -

जिला मजिस्ट्रेट, पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबधित मामलों में शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा और बच्चों से संबंधित कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जो उस पर विचार करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।

6.8 योजना का विस्तार एवं दिशा-निर्देशों में संशोधनः-

राज्य सरकार द्वारा योजना का विस्तार हेतु अथवा आवश्यकतानुसार समय-समय पर अधिसूचना/परिपत्रों के माध्यम से इन दिशा-निर्देशों में संशोधन/अपेक्षित सुधार राज्य शासन स्तर पर किया जा सकेगा ।

योजना के विस्तार के साथ साथ पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से आमजन को जोडने हेतु प्रतिवर्ष जिला स्तर/संभाग स्तर तथा राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसमें योजनांतर्गत लाभांवित प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल को प्रदर्शित करने के लिये मंच प्रदान किया जावेगा, जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रायोजन सहायता के लिये प्रेरित किया जा सकेगा।

बालकों की पहचान सम्बन्धी प्रावधानों का एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम योजना को प्रचार एवं संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग कर योजना की प्रभाविकता में वृद्धि की जायेगी ।

6.9 सूचना शिक्षा और संचार सामग्री -

पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता को बालक के स्थापन से पहले निम्न विषयों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी) प्रदान की जायेगी।

i. पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ता के रूप में चुनौतियां
ii. पालन पोषण करने वाले माता-पिता/ उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदायकर्ता के लिए सहयोगी बिंदु
iii. पालन पोषण करने वाले माता-पिता होने के उत्तरदायित्व
iv. पालन पोषण करने वाले माता-पिता होने के सोपान

उक्त दस्तावेजों को इन दिशा-निर्देशों के प्रारूप - छ में संलग्न किया गया है। इस सामग्री का उपयोग हैन्डआउट्स, पोस्टर आदि तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा डाटाबेस संधारित करने में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप तैयार किया जा सकता है तथा इस संबंध में विस्तृत दिशा दिशा-निर्देशा जारी किये जा सकते है।

6.10 दिशा-निर्देशों की व्याख्या एवं छूट-

इन दिशा-निर्देशों को मौजूद कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। इन दिशा-निर्देशों के व्याख्यान हेतु प्रासंगिक कानून को संदर्भित करना है। किसी भी अस्पष्टता या विवाद के मामले में इन दिशा-निर्देशों का व्याख्या करने की शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकार में निहित है।

———————————— 0 ————————————

सन्दर्भ सूची -

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016
3. राष्ट्रीय बाल नीति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2013
4. बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2016
5. समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत, पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु आदर्श दिशा निर्देश, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2016
6. समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संशोधित मार्गदर्शिका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2014
7. झारखण्ड पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा निर्देश, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड शासन, 2018
8. The Care Planning, Plancement and Case Review (England) Regulation, 2010
9. Department for Education, *Fostering Services: National Minimum Standards*, (England) 2011
10. Department for Education, The Children Act 1989 Guidance and Regulations, (England) Vol. 4

संभावित पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु बच्चे के परामर्श सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –

1. **बच्चे की समझ के स्तर के अनुसार काउंसलिंग** आयोजित की जानी चाहिए और उसे एक पालन पोषण देखरेख स्थापन (फोस्टर केयर प्लेसमेंट) की जानकारी दी जानी चाहिए, जो उनके जीवन में हो सकती है। पालन पोषण देखरेख प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का परिचय करवाया जाना चाहिए और बच्चों को इस प्रक्रिया के बारे में अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे की सुरक्षा और सर्वोत्तम हित इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण विचार होना चाहिए।

2. परामर्श सत्र के उद्देश्य –

- भावी पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु बच्चों को शिक्षित करने के लिए कि वे पालन पोषण देखरेख वाले बच्चे होने से क्या अपेक्षा कर सकते हैं।
- अपने पिछले परिचित वातावरण से निकाले जाने के परिणामस्वरूप एक बच्चे पर गंभीर भावनात्मक प्रभाव को कम करने के लिए।
- सुरक्षा और देखभाल की गुणवत्ता को आश्वस्त करने के लिए, जो एक बच्चा अपने अधिकार के रूप में प्राप्त करेगा।

3. मार्गदर्शक नोट –

1. क्या बच्चा, पालन पोषण देखरेख की अवधारणा को समझता है?

हाँ /नही

यदि नहीं, तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाएं, जिसमें डीसीपीयू, पीओ–एनआईसी, डीसीपीओ, बाल कल्याण समिति, एसएफसीएसी व प्रमुख हितधारकों की भूमिका सहित अवधारणा, कानूनी पहलु आदि शामिल हैं।

2. यदि बच्चा समाज में किसी से जुड़ना चाहता है, तो सुनिश्चित करें कि वे बच्चे के लिए सुरक्षित और उपयुक्त होने पर ही इस प्रक्रिया का भाग हो सकते हैं। चिन्हित लोग, पहले संभावित पालक माता–पिता हो सकते हैं। हालांकि, वे पालक माता–पिता होने की उक्त प्रक्रिया का पालन करेंगे। कृपया बच्चे द्वारा उल्लेख करने वाले सभी कनेक्शनों को सूचीबद्ध करें। कभी–कभी लोगों के सर्कल के बारे में चित्र बनाना बहुत सहायक हो सकता है। उन्हें उनके समुदाय या किसी घर का चित्र बनाने के लिए कहें और पूछें कि कौन सर्कल में है और कौन नहीं है। उन्होंने किसे सूचीबद्ध किया है।

संभावित पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) हेतु बच्चे के जैविक माता–पिता के परामर्श सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –

पालक माता–पिता द्वारा, केस वर्कर की सहायता से, पालन पोषण पर दिए जाने वाले बच्चों के जैविक परिवारों के साथ आवश्यकतानुसार बैठक करना चाहिए। बच्चे की सुरक्षा और सर्वोत्तम रुचि इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण विचार होनी चाहिए।

पालक माता–पिता को यह याद रखना चाहिए कि एक बच्चे के लिए, जन्म देने वाले परिवार के साथ संपर्क उनकी पहचान से जुड़ा संबंध है। साक्ष्य आधारित शोध से पता चलता है कि जब बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं, भले ही उनके जैविक परिवार की सुरक्षा और स्थितियों कैसी भी हों, वे जीवन से जुड़ाव महसूस करते हैं सुरक्षित और उचित होने पर यह सम्बन्ध, एक महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।

जैविक परिवारों को इस बात से अवगत नहीं कराया जाना चाहिए कि एक पालक परिवार या पालन पोषण पर दिए जाने वाला बच्चा कहां रहता है। पालक परिवार पर नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए उन्हें पर्यवेक्षित विजिट के तहत बाल कल्याण समिति, डीसीपीयू या केस वर्कर एजेंसी से मिलना चाहिए। (अन्यथा जैविक परिवार, पालक परिवार से अनुचित रूप से राशि की मांग कर सकते हैं)

केस विजिट करने हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –

विजिट से पहले, पिछले घर की विजिट के फॉलो–अप के लिए चिन्हित वस्तुओं के रिकॉर्ड और सूची की समीक्षा करें। पालक परिवार के साथ चर्चा के दौरान एक संकेत के रूप में इस सूची का उपयोग करें।

इस विजिट के दौरान अंतिम विजिट से ज्ञात शीर्ष प्राथमिकताओं का पालन करना सुनिश्चित करें।

प्रत्येक विषय क्षेत्र में मार्गदर्शी प्रश्न, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं,को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। ये सवाल केवल सुझाव हैं, स्क्रिप्ट नहीं। कृपया नीचे दी गई श्रेणियों में से प्रत्येक के अनुसार टिप्पणियों को भरने के लिए एक ए4 साइज कागज का उपयोग करें, साथ ही, परिवार की स्थिति के अनुसार अपने स्वयं के प्रश्नों का भी उपयोग करें।

नीचे दिए गए विषय क्षेत्रों पर इस तरह से चर्चा करें जो स्वाभाविक बातचीत जैसा हो। प्रत्येक विषय को कवर करना और टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणी करना अनिवार्य है।

1 – पालन पोषण देखरेख माता पिता के घर –

(क) **घर में परिवर्तन** – क्या घर में कोई नया रहता है, अस्थायी रूप से रह रहा है, या अपना अधिकांश समय यहाँ बिता रहा है? नई नौकरी या वित्तीय स्थिति?

(ख) **पालक परिवार में रिश्ते** – बच्चे कैसे मिलकर रह रहे हैं? वयस्कों और बच्चों के बीच संबंधों के बारे में ? वयस्कों के बीच सम्बन्ध ? परिवार में संघर्ष का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है?

(ग) **सांस्कृतिक और जातीय विचार** – पालक माता–पिता अपने घर में रखे गए बच्चों की मूल संस्कृति के बारे में जानने, सम्मान करने और उन्हें बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उनके पास बच्चे के बारे में कोई सवाल है या जानकारी की आवश्यकता है?

(घ) **सामाजिक समर्थन और राहत** – परिवार की मदद और सलाह के लिए पालक परिवार किसके पास जाता है – दोस्त, विस्तारित परिवार, सहकर्मी, समुदाय, धर्म, स्कूल? क्या बच्चे को घर के बाहर सामाजिक/भावनात्मक समर्थन और संपर्क उपलब्ध है?

(ड.) **सेवाएं और प्रशिक्षण** – पालक परिवार के बच्चे या अन्य सदस्यों के लिए क्या संसाधन/रेफरल की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चे की देखभाल, मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव हेतु सहायता आदि। तात्कालिक रूप से पालन पोषण देखरेख में पालक माता–पिता या बच्चे को कौन से कौशल सीखने/कौशल संवर्धन से लाभ होगा?

(च) **पालक पोषण देखरेख हेतु घर में सुरक्षा और पर्यवेक्षण** – उदाहरण के लिए, क्या बच्चा घर में सुरक्षित महसूस करता है? क्या सुरक्षित और उचित अनुशासन का उपयोग किया जा रहा है? क्या घर में बच्चों के लिए उपयुक्त स्तर की निगरानी है? क्या समुदाय/घर में रहने वाले, बच्चे को स्वीकार करते हैं, क्या इसमें कोई खतरे हैं?

(छ) **बाल व्यवहार और पालन–पोषण कौशल** – क्या कोई बच्चा चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है? बच्चे के व्यवहार को प्रबंधित करने में माता–पिता कितना सक्षम और सफल अनुभव करते हैं? बाल व्यवहार को नियंत्रित करने में, कौन सा व्यवहार काम कर रहा है और कौन सा नहीं ?

(ज) **बच्चे की स्कूली शिक्षा/शिक्षा** – बच्चा स्कूल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? सामाजिक और साथ ही शैक्षणिक मुद्दों पर विचार करें। बच्चे या परिवार को शैक्षणिक सफलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या वे ट्यूशन ले रहे हैं?

(झ) **शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति/बच्चे और पालक परिवार की आवश्यकताएं** – क्या बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है? क्या बच्चे की कोई चिकित्सीय आवश्यकता हैं? क्या पालक माता–पिता ने बच्चे के मूड या व्यवहार में किसी तरह के बदलाव पर ध्यान दिया है? क्या बच्चे या पालक माता–पिता के पास मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता या आवृत्ति के बारे में प्रश्न हैं? क्या घर में किसी को भी चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं?

(ञ) **विजिट, जन्म परिवार के साथ बातचीत और साझा पालन–पोषण** – क्या बच्चे को जन्म–परिवार से संबंधित चिंताएँ या आवश्यकताएँ हैं या उसकी उस परिवार से भेंट की आवश्यकता है? पालक माता–पिता कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? बच्चे और जन्म परिवार के बीच संबंध बनाए रखने के लिए पालक माता–पिता क्या कर रहे हैं? क्या उनके व्यवहार ने काम किया है या नहीं किया है? उन्हें क्या मदद चाहिए?

यदि उन्होंने पहले भी पालन पोषण देखरेख की है, तो बच्चे ने परिवार में कितनी अच्छी तरह समायोजन किया था। अब वह क्या कर रहा है? उस बच्चे के साथ बातचीत, पालन पोषण देखरेख प्रदाता/माता–पिता के व्यक्तित्व के कई पहलुओं को प्रकट करेगी।

गृह अध्ययन करने हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –

1. पसंदीदा बच्चे का विवरण –

बच्चे का प्रकार, पालन पोषण देखरेख करने वाला विचार करेगा (पालन पोषण देखरेख करने वाले के साथ पूरी चर्चा के बाद भरा जाएगा)

2. निम्नलिखित का विवरण दें –

- व्यक्तित्व
- पारिवारिक जीवन,
- अनुभव
- परिवार के विशिष्ट गुण जो बच्चे की जरूरतों के साथ मेल खा सकते हैं।

नोट – विवरण में एक विशिष्ट बच्चे के, परिवार के संभावित मिलान का प्रारंभिक चिन्हांकन होना चाहिए।

3. विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी/CCI/DCPU के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की जा रही जानकारी के आधार पर पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता की एक **गृह अध्ययन रिपोर्ट** तैयार की जाती है जिसमें, मोटे तौर पर निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए –

- सामाजिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि
- घर का विवरण
- घर में रहन सहन का स्तर
- घर में सदस्यों के बीच वर्तमान संबंध
- घर में पहले से ही बच्चों के विकास की स्थिति
- रोजगार और आर्थिक स्थिति व स्वास्थ्य विवरण
- पड़ोस में उपलब्ध शिक्षा, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का विवरण
- पालन पोषण देखरेख में बच्चे को लेने का कारण
- दादा–दादी और अन्य रिश्तेदारों के दृष्टिकोण
- पालन पोषण देखरेख पर दिए गए बच्चे के लिए प्रत्याशित योजनाएँ
- पालन पोषण देखरेख प्रदाता की कानूनी स्थिति
- प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा।

4. आवेदक/आवेदकों का विवरण –

- **पृष्ठभूमि –**
  - ➢ माता–पिता और भाई–बहनों के विवरण के साथ पारिवारिक संरचना
  - ➢ परिवार के अन्य सदस्यों के महत्वपूर्ण विवरण, बचपन के अनुभव।
- **सम्बन्ध –**
  - ➢ विवाहित जीवन की अवधि
  - ➢ प्रत्येक आवेदक के कौन से गुण उनके संबंधों में साझेदारी लाते है,
  - ➢ क्या है, जो उनके आपसी संबंधों को सकारात्मक बनाता है?
  - ➢ आवेदक संबंधों में समस्याओं/तनाव/क्रोध का सामना कैसे करते हैं?
  - ➢ आवेदक एक–दूसरे का समर्थन कैसे करते हैं?
  - ➢ प्रत्येक आवेदक का, पालन पोषण देखरेख में बच्चा लेने पर उनके संबंधों को प्रभावित करने का आंकलन क्या है,
    (इस तरह की कई विजिट और मुलाकातों के बाद इसे समझा जा सकता है)
- **निर्णय लेना –**
  - ➢ निर्णय करने की प्रक्रिया को प्रत्येक आवेदक कैसे देखता है?

- क्या युगल के निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यापक रूप से विस्तारित परिवार की भागीदारी है?
- यदि ऐसा है, तो बच्चा इससे किस तरह प्रभावित होगा ?
- इन साझेदारियों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं?

(अ) बच्चों के मध्य
(ब) बच्चे और उनके माता–पिता के सम्बन्ध
(स) पालन पोषण देखरेख स्थापन के लिए बच्चों का व्यवहार और तत्परता
(द) प्रत्येक बच्चे और उनके स्वभाव, किसी विशेष प्रतिभा और आवश्यकता का वर्णन करें कि बच्चे किस तरह तैयारी में शामिल रहे हैं।

5 . आवेदक का सहायक नेटवर्क –

वर्तमान में आवेदकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सहायता प्रणालियों की एक सामान्य जानकारी दें जिसमे विस्तारित सहायता शामिल है, जैसे –

- परिवार
- दोस्त
- पड़ोसियों
- धार्मिक गतिविधियाँ
- सामुदायिक समूह
- स्थान आदि का विवरण शामिल करें।

6. परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य –

- घर में रहते हैं नहीं,
- आवेदकों से उनके संबंध,
- उन्होंने घर के भीतर कितना समय बिताया,
- प्रस्तावित नियुक्ति के लिए उनका दृष्टिकोण ?
- आवेदक के चिन्हांकन में उनकी स्वीकृति कितनी महत्वपूर्ण है।

7. पारिवारिक जीवन शैली का विवरण –

- यह रेखांकित करता है कि परिवार किसको महत्वपूर्ण मानता है, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ कितनी महत्वपूर्ण हैं।
- परिवार में स्नेह संबंध कैसे है?
- सदस्य अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं?
- व्यक्तिगत स्थान के संबंध में परिवार के सदस्यों से क्या अपेक्षाएँ हैं?
- शिक्षा/शौक और पूरे परिवार की अवकाश गतिविधियों को क्या मूल्य दिया जाता है?

8. बच्चे के पालन पोषण (पेरेंटिंग) की क्षमता –

- बच्चों की देखभाल करने और उनके साथ काम करने का आवेदकों का अनुभव।
- पितृत्व के प्रति उनके समायोजन का वर्णन करें।
- उनकी समझ क्या है कि बच्चे का विकास कैसे होता हैं?
- अपने स्वयं के बचपन के अनुभवों का उपयोग करते हुए कि वे किस प्रकार के पालन–पोषण के पैटर्न को दोहराएंगे और वे क्या बदलेंगे?
- बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी अपनी पेरेंटिंग क्षमता/सम्भावना और उनकी पेरेंटिंग कुशलता के बारे में उनकी समझ क्या है।
- वे किस हद तक परिवार के अन्य सदस्यों को अपने बच्चों/बच्चों के पालन–पोषण में शामिल होने की अपेक्षा करेंगे।
- वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एक बच्चा अपने परिवार में शारीरिक यौन शोषण से सुरक्षित रहेगा और व्यापक सहायता प्रणाली में होगा?

9. अस्वीकार्य व्यवहार का प्रबंधन –

- घर में क्या नियम हैं?
- आवेदक अनुमोदन/अस्वीकृति कैसे दिखाते हैं?
- वे कौन से अनुशासन उपाय हैं जिनका वे उपयोग करते हैं?
- सजा के प्रति उनका रवैया?
- वे क्या आशा करते हैं कि बच्चे के लिए यह समस्याएँ और कठिनाइयाँ होंगी?
- वे अपनी जीवनशैली में किन बदलावों की आशा करते हैं?

10. सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा मूल्यांकन –

प्रारूप के माध्यम से एकत्र की गई सभी जानकारी और इसके महत्व के साथ आवेदक की क्षमता के संबंध में निम्न विश्लेषण प्रदान करना चाहिए –

- बच्चों के साथ काम करने के सम्बन्ध में आवेदकों के पास क्या कौशल है?
- जैविक माता–पिता व संस्था के साथ आवेदक कितनी अच्छी तरह काम करेगा? आवेदकों की ताकत और संसाधन क्या हैं और वे कौन से क्षेत्र हैं जहां उन्हें कठिनाई का अनुभव हो सकता है? साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता और आवेदकों के बीच असहमति का बिंदु यहां दर्ज किया जाना चाहिए।

शिकायत व जाँच के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –

शिकायत कौन कर सकता है?

पालक बच्चे, पालक माता–पिता, DCPU, DCPO, PO(IC), PO(NIC), SFCAC, CWC, SAA, चाइल्डलाइन, एडवोकेट, JJB, SAA के सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, परिवार के सदस्य, जनता के सदस्य, या NGO / एजेंसी के सदस्य किसी के द्वारा भी शिकायत की जा सकती है।

जांच कैसे की जाती है?

शिकायतों को 'फोस्टर केयर शिकायत टेम्पलेट' के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है, जिसे किसी के भी द्वारा भरा जा सकता है। यह टेम्पलेट डीसीपीयू, बाल कल्याण समिति, एसएए और एसएफसीएसी को प्रस्तुत किया जाता है, जो पालन पोषण देखरेख पर दिए गए बच्चे के अधिकार क्षेत्र के वर्तमान जिले में होता है। बाल कल्याण समिति और प्रायोजन और पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति या तो स्वयं या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से, बच्चे के सर्वोत्तम हित में नियुक्ति की समय–समय पर समीक्षा करेगी और पालक नियुक्ति के विस्तार या समाप्ति सहित उचित कार्यवाही करेगी।

संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) किसी भी शिकायत और उसके सम्बन्ध में प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है जब तक कि शिकायत संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) के बारे में न हो। यदि हां, तो शिकायत को बाल कल्याण समिति को सीधे संबोधित किया जाना चाहिए। संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति को 24 घंटे के भीतर अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रारंभिक फोस्टर केयर शिकायत टेम्पलेट और फोस्टर केयर शिकायत कवरिंग पत्र को अग्रेषित करना होगा और फोस्टर केयर शिकायत के अनुसार

उनके रिपोर्टिंग अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रेषित की जावेगी।

यदि संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित शिकायत की जांच नहीं होती है, शिकायत का पालन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा – पालन पोषण देखरेख करने वाले (और अन्य) के साथ उनके घर पर, उनकी टिप्पणियों के साथ, अनौपचारिक साक्षात्कार द्वारा अथवा चर्चा के लिखित रिकॉर्ड के साथ औपचारिक साक्षात्कार द्वारा।

शोषण के आरोप के मामले में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति, पालन पोषण देखभालकर्ता और पालन पोषण देखरेख पर लिए गए बच्चे और शिकायतकर्ता (यदि वह कोई और है) का साक्षात्कार करेगा। प्रासंगिक जानकारी रखने वाले अन्य लोगों का भी साक्षात्कार लिया जा सकता है।

यदि शिकायत एक आपराधिक कृत्य के बारे में है, तो एक पुलिस अधिकारी साक्षात्कार लेगा।

यदि जांच के किसी भी चरण में इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि बच्चे को अधिक हानि पहुँचने का खतरा है, बच्चे की पालन पोषण देखरेख समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह का निर्णय केवल संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति द्वारा बहुत सावधानी से विचार करने के बाद किया जाना चाहिए, और बच्चे के सर्वोत्तम हित की रक्षा करते हुए निर्णय लेना चाहिए। एक बच्चे को पालन पोषण देखरेख समाप्त कर घर से निकालने का काम बाल कल्याण समिति की स्वीकृति से ही हो सकता है।

जांच पूरी होने पर क्या होता है?

संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उनके रिपोर्टिंग अधिकारी और पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता को जांच के परिणाम के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाए। जांच के परिणाम के बारे में बाल कल्याण समिति, बच्चे और उसके जैविक माता–पिता को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

शिकायत और जांच परिणाम का रिकॉर्ड पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता की फाइल में रखा जाएगा।

यदि पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता, जिनकी शिकायत के संबंध में जांच की गई है, इस बात से असंतुष्ट हैं कि जांच को ठीक तरह से नहीं किया गया है, उन्हें उन्हें उसी प्रक्रिया के माध्यम से शिकायत करने का मौका दिया जाएगाद्य

जाँच हेतु विजिट के चरण

एक शिकायत के मामले में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति –

- जांच के पहले चरण में पालक घर के वातावरण, पड़ोस और बच्चे की दैनिक गतिविधियों का आकलन शामिल होना चाहिए।
- बच्चे की शैक्षणिक,मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी जानकारी स्कूल से प्राप्त की जानी चाहिए, जिसमें बच्चा अध्यनरत है।(यदि शैक्षणिक शिकायत है)
- पालन पोषण देखरेख पर दिए गए बच्चे की पूरी तरह से चिकित्सीय जांच की जानी चाहिए। (यदि चिकित्सकीय शिकायत या दुर्व्यवहार की शिकायत हो)
- जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसका भी साक्षात्कार लिया जाना चाहिए।
- यदि जांच से पता चलता है कि पालन पोषण देखरेख पर दिए गए बच्चे की स्थापन में समायोजित करने में असमर्थता है, तो उसे विशेष परामर्श दिया जाना चाहिए और अंतिम निर्णय से पहले निरंतर फॉलो–अप के माध्यम से अधिकतम छह महीने तक निगरानी में रखा जाना चाहिए।
- यदि स्थिति का निराकरण नहीं होता है, तो बाल कल्याण समिति स्थापन से बच्चे के स्थानांतरण के लिए आदेश जारी करेगी।
- यदि पालक माता–पिता द्वारा पालन पोषण देखरेख पर दिए गए बच्चे के शोषण की शिकायत सत्य माने जाने योग्य है, तो बच्चे को तुरंत संरक्षण में लिया जाना चाहिए।
- बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाना चाहिए और पुनर्वास के लिए एक उचित आदेश जारी किया जाना चाहिए।
- पालक माता–पिता जो दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए हैं, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उन्हें भविष्य के स्थापन के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
- यदि एक पालक परिवार को जानबूझकर झूठे या गलत तरीके से योग्य होने का दिखावा करने के कारण, योग्य समझा जाता है, तो जिम्मेदार कर्मियों

(गृह अध्ययन या बाल कल्याण समिति का संचालन करने वाले व्यक्ति) के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाना चाहिए।

पालन पोषण देखरेख प्रदायकर्ता अथवा बच्चे की मृत्यु होने की स्थिति में –

- यदि पालन पोषण देखरेख पर दिए गए बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) बच्चे के जैविक माता–पिता/अभिभावक/सीडव्लूसी/एसजेपीयू को सूचित करेगा।
- एक पालन पोषण देखरेख पर दिए गए बच्चे की मृत्यु के मामले में, 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
- मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, DCPU तुरंत सक्षम प्राधिकारी और बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा।
- पालक माता–पिता की मृत्यु के मामले में, बच्चे को किसी मान्यता प्राप्त बाल गृह में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए या अपने जैविक परिवार में वापस भेज देना चाहिए।

विचारणीय बिंदु –

- बच्चे के सर्वोत्तम हित को हमेशा सर्वोपरि माना जाना चाहिए। जांच का उद्देश्य हमेशा मामले को यथाशीघ्र निराकरण करना चाहिए और प्रोटोकॉल में समयसीमा को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि शिकायत की प्रकृति को गंभीर माना जाता है, तो बच्चे को एक निश्चित समय के भीतर स्थापन समाप्त किया जाना चाहिए और 24 घंटे के भीतर एक आपातकालीन देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- यह महत्वपूर्ण है कि पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति बाल दुर्व्यवहार को समझता हो, साथ ही कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को भी समझता हो। बाल संरक्षण नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार सभी हितधारकों को सघन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और समय–समय पर रिफ्रेशर कार्यक्रम के बाद प्रमाणीकरण होना चाहिए।
- बाल दुर्व्यवहार को मामले की तीव्रता और गंभीरता के आधार पर गंभीर, मध्यम और साधारण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इसके लिए रिपोर्ट करने हेतु रिपोर्टिंग प्रारूप विकसित किया जाना चाहिए। शोषण के सभी मामलों (साधारण, मध्यम और गंभीर) को बाल कल्याण समिति को

सूचित किया जाना चाहिए और बाल कल्याण समिति द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।

- बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा के संदिग्ध या प्रमाणित सभी मामलों में, बच्चे की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही, निराकरण के उपाय किये जाने चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक परामर्श और सहायता प्रदाय की जानी चाहिए।
- दुर्व्यवहार या शोषण के मामलों में, क्रियान्वयन भागीदार द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्ट डीसीपीयू को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- सभी दुर्व्यवहार मामलों पर, बच्चों की भागीदारी को महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें, जो आत्म–सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, सभी प्रकार के दुर्व्यवहारों के विरुद्ध बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- तात्कालिक आवश्यकता हेतु और संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा के लिए तत्काल चाइल्डलाइन 1098 पर या पुलिस को डायल 100 पर कॉल करें।

———00———

प्रारूप 7[1]

वैयक्तिक देखरेख योजना (Individual Care Plan)
विधि का उल्लंघन करने वाला बालक/देखरेख तथा
संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक

(जो लागू हो उसे सही करें)

केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का नाम .....
वैयक्तिक देखरेख योजना तैयार करने की तारीख .....20.....का मामला/प्रोफाइल संख्या.....
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....
धारा के अंतर्गत (अपराध का प्रकार) विधि का उल्लंधन करने वाले बालकों के मामलों में लागू..

.....

पुलिस स्टेशन.....

बोर्ड अथवा समिति का पता.....

भर्ती संख्या (यदि बालक संस्था में है).....

भर्ती की तारीख (यदि बालक संस्था में है).....

बालक का प्रवास (जैसा लागू हो ,भरे) .....

(i) अल्पकालिक (6 मास तक) ☐

(ii) मध्य कालिक (6 मास से 1 वर्ष) ☐

(iii) दीर्धकालिक (1 वर्ष से अधिक) ☐

(क) व्यक्तिगत विवरण (संस्था में बालक की भर्ती पर बालक/माता–पिता /दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

1. बालक का नाम : .....
2. आयु/जन्म की तारीख : .....
3. लिग (बालक/बालिका) : .....
4. पिता का नाम : .....
5. माता का नाम : .....
6. राष्ट्रीयता : .....
7. धर्म : .....
8. जाति : .....

[1] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

9. बोली जाने वाली भाषा : .....

10. शिक्षा का स्तर : .....

11. बालक के बचत खाते के ब्यौरे, यदि कोई हो, ...

12. बालक की आय तथा सामान के ब्यौरे, यदि कोई हो, ...

13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों के विवरण, यदि कोई हो:.....

14. केस हिस्ट्री, सामाजिक जॉच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों तथा हस्तक्षेपों के विवरण दें:

क.	श्रेणी	महत्वपूर्ण विषय	प्रस्तावित हस्तक्षेप
1	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3	भावनात्मक तथा मनौवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5	फुरसत , सृजसनात्मक तथा खेल		
6	आसक्ति तथा अन्तर–वैयक्तिक सम्बन्ध		
7	धार्मिक विश्वास		
8	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत व्यवहार से संरक्षण तथा स्वयं देखरेख के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण		
9	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10	अन्य ऐसा कोई ,महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर दुष्प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)		

(ख) बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले 3 मास के लिए प्रत्येक पखवाडे में तैयार की जाए तथा तत्पश्चात् मास में एक बार तैयार की जाए)

(टिप्पणी – प्रगति रिपोर्ट के लिए भिन्न –भिन्न पृष्ठ का प्रयोग करें)

1. परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी का नाम .....

2. रिपोर्ट की अवधिः–.....

3. भर्ती संख्याः–.....

4. बोर्ड अथवा समिति :–.....

5. प्रोफाइल संख्या :–.....

6. बालक का नाम :–.....

7. बालक के रहने की अवधि (जैसा लागू हो, भरे)

   (i) अल्पकालिक (6 मास तक) ☐

   (ii) मध्यकालिक (6 मास से 1 वर्ष) ☐

   (iii) दीर्धकालिक (1 वर्ष से अधिक) ☐

8. साक्षात्कार का स्थान.....तारीख.....

9. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का साधारण आचरण तथा प्रगति.....

.....

10 इस प्रारूप के भाग क के बिन्दु 14 में यथा उल्लेखित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के सम्बन्ध में की गई प्रतिः–

क्र.	श्रेणी	महत्वपूर्ण विषय	प्रस्तावित हस्तक्षेप
1	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3	भावनात्मक तथा मनौवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5	सृजनात्मक गतिविधि तथा खेल		
6	आसक्ति तथा अन्तर–वैयक्तिक सम्बन्ध		
7	धार्मिक विश्वास		
8	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत व्यवहार से संरक्षण तथा स्वयं देखरेख के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण		
9	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर दुष्प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)		

11. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाहीः

(i) बंध–पत्र की शर्तो में बदलाव.....

(ii) बालक के निवास में परिवर्तन .....

(iii) अन्य मामले, यदि कोई है.....

12. पर्यवेक्षण की अवधि.....को पूरी की गई ।

पर्यवेक्षण का परिणाम, टिप्पणी के साथ .....

माता –पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम तथा पता जिसकी देखरेख में बालक को पर्यवेक्षण समाप्त होने के बाद रहना है :–.....

रिपोर्ट की तारीख.....

परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

(ग) – निर्मुक्त होने से पूर्व रिपोर्टः(निमुक्त होने से 15 दिन पूर्व तैयार की जाए)

1. स्थानान्तरण के स्थान के बयौरे तथा स्थानान्तरित स्थान निर्मुक्त करने में उतरदायी सम्बन्धित प्राधिकारी.....

2. विभिन्न संस्थाओं/परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे

3. लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल .....

4. बालक की अन्तिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए, कृपया भाग –ख देखें)

5. बालक की पुनर्वास तथा पुनः स्थापन की योजना (बालक की प्रगति रिपोर्टो के संदर्भ में तैयार की जाए)

क्र	श्रेणी	चिंता के क्षेत्र	प्रस्तावित मध्यक्षेप
1	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3	भावनात्मक तथा मनौवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5	सृजनात्मक गतिविधि तथा खेल		
6	आसक्ति तथा अन्तर–वैयक्तिक सम्बन्ध		
7	धार्मिक विश्वास		
8	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत व्यवहार से संरक्षण तथा स्वयं देखरेख के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण		
9	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10	अन्य कोई		

6. निर्मुक्त होने/स्थानान्तरण /पुनर्समेकन की तारीखः.....

7. अनुरक्षा की मॉग, यदि अपेक्षित होः .....

8. अनुरक्षा का पहचान का प्रमाण –जैसे कि चालन अनुज्ञप्ति,आधार कार्ड आदिः.....

9. संभावित नियोजन/प्रायोजता सहित अनुशंसित पुर्नवास योजनाः–.....

10. निर्मुक्ति पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही के लिए परिवीक्षा अधिकारी/गैर –सरकारी संगठन के विवरण .....

11. रिहाई–पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही के लिए पहचाने गए गैर–सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाए) :.....

12. प्रायोजता अभिकरण/वैयक्तिक प्रायोजक के विवरण, यदि कोई होः.....

13. प्रायोजता अभिकरण तथा वैयक्तिक प्रायोजक के बीच समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाएं)

14. निर्मुक्ति से पूर्व चिकित्सा जॉच रिपोर्टः–.....

15. अन्य कोई जानकारीः.....

घ. बालक की नियुक्ति पश्च/पुनः स्थापन रिपोर्टः

1. बैक खाते की स्थिति बन्द /अन्तर्गत

2. बालक की आय तथा प्राप्त सामग्री, :बालक को अथवा उसके माता–पिता/संरक्षक को सौपा गया : ☐ ☐
हॉ नहीं

3 परिवीक्षा अधिकारी बालक की निर्मुक्ति –पश्चात अनुवर्ती कार्यवाही के लिए पहचाने गए बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर–सरकारी संगठन की प्रथम बातचीत की रिपोर्ट.....

4. पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना के संदर्भ में की गई प्रगति.....

5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार/अभिवृति.....

6. बालक का सामाजिक वातावरण, विशेष रूप से पडोसियों /समाज का दृष्टिकोण.....
.....

7. बालक अर्जित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है.....

8. क्या बालक को एक स्कूल अथवा किसी व्यवसाय में दाखिल किया गया है? स्कूल/संस्थान/अन्य किसी अभिकरण का नाम तथा तारीख दें.....
हॉ/नहीं

9. क्रमशः दोमास तथा छह मास के बाद बालक के साथ बातचीत पर दूसरी तथा तीसरी अनुवर्ती कार्यवाही की रिपोर्टः.....

10. सामाजिक मुख्य धारा के प्रति प्रयास /इसके बारे में बालक की राय/विचार.....

11. पहचान – पत्र तथा प्रतिकर.....

(निर्देश– कृपया वास्तविक दस्तावेजों के साथ सत्यापन करें)

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सहीं का निशान लगाएं)		की गई कार्यवाही
	हॉ	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बी.पी.एल कार्ड			
विकलांगता का प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			

राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से प्रतिकर प्राप्त हुआ			

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर के हस्ताक्षर मुहर तथा सील जहॉ उपलब्ध हो

प्रारूप–30[2]

संभावित पालक माता–पिता के घर की अध्ययन रिपोर्ट

पंजीकरण की तारीख :–.....

आधार कार्ड संख्या :– .....

सामाजिक कार्यकर्ता का नामः– .....

गृह भेंट की तारीख :– .....

संभावित माता–पिता द्वारा प्रारूप का भाग 1 भरा जाएगा और भाग 2 का शेष भाग सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभावित पालक माता–पिता की उपयुक्तता के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भरा जाएगा ।

भाग– 1 स्व–मूल्यांकनः

(क) संभावित पालक माता–पिता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना :

पालक माता–पिता का विवरणः– .....

पूरा नाम :– .....

जन्म तिथि और आयु .....

जन्म स्थान .....

ई–मेल आईडी सहित पूरा पता (वर्तमान एवं स्थायी पता).....

पहचान साक्ष्य .....

धर्म .....

भाषाएँ .....

विवाह की तारीख .....

वर्तमान शैक्षणिक योग्यता .....

रोजगार /व्यवसाय.....

वर्तमान नियोक्ता/कारोबारी प्रतिष्ठान का नाम एवं पता .....

वार्षिक आय.....

स्वास्थ्य की स्थिति .....

(ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी सूचना –

(1) निम्नलिखित सूचनाओं के साथ संभावित पालक माता–पिता की सामाजिक स्थिति और पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण दे –

---

[2] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

आवेदक/कों के माता–पिता के बारे में विवरण –

	पिता	माता
पूरा नाम		
आयु		
राष्ट्रीयता/नागरिकता		
व्यवसाय		
पूर्व व्यवसाय		
वर्तमान निवास		

(2) कृपया अपने सम्बन्धित प्रत्येक/सभी बच्चों (दत्तक ग्रहण/जैविक) के नाम सहित उनके लिंग, शैक्षणिक स्थिति और जन्म–तिथि का विवरण देकर निम्नलिखित तालिका को पूरा करें–

बच्चे का नाम	लिंग	जन्मतिथि	शैक्षणिक स्थिति

(3) यदि अन्य सदस्य भी रह रहे हो तो कृपया उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें –

नाम	सम्बन्ध का स्वरूप	आयु	लिंग	व्यवसाय

(4) कृपया यह वर्णन करें कि अपका पालक देखभाल सम्बन्धी व्यवहार परिवार के सदस्यों (दादा–दादी, बच्चों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर) को किस प्रकार से प्रभावित करेगा .....
.....

(ग) व्यवसाय /रोजगार का विवरण (पिछले 05 वर्ष की व्यवसायिक जीविका) –

पालक पिता –

संगठन	नियोक्ता का विवरण नाम एवं पता	कार्य पद/स्थिति	.....से. .....तक

पालक माता –

संगठन	नियोक्ता का विवरण नाम एवं पता	कार्य पद/स्थिति	.....से. .....तक

(घ) वित्तीय स्थिति(अपनी सभी स्त्रोतों से आय, जैसे बचत, निवेश, खर्च और अन्य देयताओं और ऋण आदि का प्रलेखों सहित संक्षेप में विवरण दें).....

(ड.) घर और आस–पडोस का विवरण (घर में जगह की स्थिति का ब्यौरा और पडोसियों से सम्बन्ध).....

(1) अपने घर में कितने कमरे है ओर बच्चे के खेलने की जगह की उपलब्धता बताएँ.....
.....

(2) कृपया उस पडोस का उल्लेख करें, जहॉ आप रहते है और उस पहलू को भी शामिल करें जिसे आप बच्चे के लिए उपयोगी मानते हो.....
.....

(च) पालक माता–पिता का देखभाल के लिए व्यवहार और प्रयोजन –

(1) कृपया उन शब्दों को घेरा लगाएं, जिन्हें आप उस दृष्टि से सर्वोतम मानते हो कि जिस वजह से पालन पोषण देखभाल करना चाहते है (यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते है)

(क) अपने अन्य बच्चों के लिए साथी उपलब्ध कराना

(ख) बच्चे को खुशहाल घर देना

(ग) अन्य, कृपया उल्लेख करे.....

(2) कृपया उस कथन पर घेरा लगाएं, जिसे आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हो कि फोस्टर देखभाल व्यवस्था से आपके अन्य बच्चों के जीवन में सुधार आएगा, यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैः

(क) वे अकेलापन कम महसूस करेगें

(ख) वे अधिक उदार बन सकेगें

(ग) वे अधिक सुस्पष्ट बनेगें

(घ) लागू नहीं, क्योंकि मेरा कोई अन्य शिशु नहीं है

(ड) अन्य, कृपया स्पष्ट करें.....

(छ) पालन पोषण देखभाल के प्रति दादा–दादी/परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों एवं महत्वपूर्ण महानुभावों का व्यवहार, पालन पोषण के प्रति अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उस राय का वर्णन करें जो बच्चे के आगे बढने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हो.....
.....

(ज) बच्चे के लिए संभावित पालक माता–पिता की भावी योजना और परिवार में पालन पोषण

(1) कृपया उल्लेख करें कि बच्चे की देखभाल और जीवन की अन्य प्रतिबद्वताओं जैसे काम काज आदि की कैसे व्यवस्था करेगें.....
.....

(2) जब आप कार्य पर हो या परिवार के काम से घर से बाहर हो तो बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा (घरेलू सहायक, दादा–दादी,पति–पत्नी).....

(3) कृपया पिता के रूप में स्व–अनुशासन दृष्टिकोण का वर्णन करे.....
.....

(4) यदि पालन पोषण बच्चे को परिवार में तालमेल बैठाने में समस्या होती है तो परिवार में उस बदलाव को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले उपायो का उल्लेख करें.....
.....

(5) यदि बच्चे को तालमेल बैठाने में समस्या बनी रहती है, तो क्या आप परिवार के साथ विचार विनिमय करने के लिए तैयार होगें ?

(क) हॉ (ख) नहीं

(झ) तैयारी और प्रशिक्षण – विचार–विनिमय के उन सत्रों का विवरण दें जो फोस्टर देखभाल, बाल देखभाल, बच्चों की जरूरतों की व्यवस्था करने आदि और उनकी क्षमता, ट्रेनिंग और /अथवा उनकी विशेष जरूरतों, यदि कोई हो, सहित पर संभावित पालक माता–पिता द्वारा प्रशिक्षण लिया गया हो.....

(ञ) स्वास्थ्य स्थिति (मानसिक/भावनात्मक और शारीरिक) कृपया आवेदक की मानसिक और शारीरिक स्थिति का विवरण दें, यदि परिवार के सदस्य किसी विशेष बीमारी, परिस्थिति या सिंड्रोम से ग्रस्त हो तो इस बात का उल्लेख करें कि परिवार किस प्रकार से उसका सामना करता है और यह कैसे प्रस्तावित फोस्टर देखभाल को प्रभावित कर सकता है –

(1) क्या आप या आपकी/आपके पति/पत्नी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहे है, यदि हॉ तो, कृपया विवरण दे .....

(2) क्या आप या आपकी/आपके पति/पत्नी, इस समय मनोविज्ञानी/मनःचिकित्सक द्वारा उपचार करा रहे है .....

(3) क्या आप इस समय विहित दवाई ले रहे है.....

(4) क्या इस समय आपके घर में किसी बच्चे की बीमारी का इलाज चल रहा है.....

(5) क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य और अस्पताल में रहने का बीमा है.....

संभावित माता पिता के हस्ताक्षर
तारीख.....

भाग दो

सामाजिक कार्यकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट

(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाए)

(अभिकरणों/प्राधिकरणों द्वारा टेम्पलेट में दी गई सूचना/तथ्यों को गोपनीय रखा जाए)

1. तथ्यात्मक मूल्यांकन –

1. क्या आपने भाग 1 के टेम्पलेट में वर्णित तथ्यों/विषयवस्तु की जॉच कर ली है? हॉ/नहीं

2. क्या आप प्रलेखों में वर्णित तथ्यों के बारे में और दौरे व साक्षात्कार के समय टिप्पणियों से संतुष्ट है? हॉ/नहीं

2 मनः सामाजिक मूल्यांकन –

2.1 संभावित पालक माता–पिता से विचार विमर्श–

(i) क्या आपने संभावित पालक माता पिता से अलग अलग और संयुक्त रूप से विचार–विमार्श किया है?

(ii) क्या संभावित पालक माता पिता बच्चे का पालन पोषण करने के लिए भली भांति तैयार है?

2.2 घर के दौरे के निष्कर्ष –

(i) संभावित पालक माता पिता के घर का आपने कब दौरा किया था? और आपके दौरे के समय कौन–कौन से सदस्य उपस्थित थे?

(ii) घर के दौरे के दौरान आपने किस किस से विचार विमर्श किया था?

(iii) क्या आपने किसी पडौसी/रिश्तेदार से मुलाकात की, विचार–विमर्श के बारे में विस्तृत विवरण दें?

(iv) क्या बच्चे के लिए घर का वातावरण प्रेरणात्मक है

(v) क्या संभावित पालक माता–पिता को बच्चे को पालन पोषण देखरेख पर लेने या किसी अन्य मुदे के बारे में कोई संदेह है? क्या आपने उनके संदेहों का निवारण कर दिया है?

2.3 पारिवारिक सदस्यों से विचार विमर्श –

(i) क्या आपने संभावित पालक माता पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से विचार–विमर्श किया है? उनकी प्रस्तावित पालक देखभाल के बारे में क्या राय है?क्या वे पालक देखभाल व्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं?

(ii) क्या परिवार का कोई अन्य सदस्य है जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके और वह प्रस्तावित पालन–पोषण में बहुत भूमिका निभा सकता था? यदि ऐसा है तो आपकी कैसी बातचीत रही, उनके विचार आप अपनी योजना में लेना चाहेगें?

(iii) क्या आपने घर में उपस्थित बडे बच्चों के साथ पालन पोषण करने वाले भावी माता पिता के बारे में बातचीत की है?यदि हॉ तो उसका विवरण दें ?

(iv) क्या आपने परिवार के सदस्यों में प्रतिकूल टिप्पणियॉ तो नही सुनी? यदि हां तो पालन पोषण प्रक्रिया में उनका कितना प्रभाव पड सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता –

(i) पालन पोषण करने वाले भावी माता पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपके क्या विचार है? क्या वे वित्तीय दृष्टि से एक अन्य सदस्य अपने परिवार में शामिल करने में सक्षम है?

(ii) क्या आपने इस अवस्था में कोई संदेहस्पद वित्तीय स्थिति पाई?

(iii) क्या आप उनके लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते है?

2.5 शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमता –

(i) क्या पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता, बालक की देखभाल करने में शारीरिक एवं भावनात्मक दृष्टि से सक्षम है ?

(ii) क्या पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई ऐसी बात की है, जिससे सम्बन्धित बालक पर कोई बुरा प्रभाव पडने वाला हो, यदि हॉ तो उसका विवरण दें ।

(iii) क्या पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता, बालक की देखभाल करने में भावनात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह तैयार है ?

3. पालन –पोषण के लिए सिफारिश –

3.1 क्या देखभाल करने के लिए आप पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता, की सिफारिश करते है, पालन पोषण करने वाले माता पिता के लिए सिफारिश सम्बन्धी अपने विचार और तर्क का उल्लेख करें ।

3.2 यदि आप देखभाल करने के लिए पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता, की सिफारिश नहीं करते है तो इस निष्कर्ष/निर्णय का उचित कारण बताऍ ।

हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, और सरकारी मुहर

प्रारूप–31[3]

{नियम–23(4)}

बाल अध्ययन रिपोर्ट		
क.	मद	प्रत्युत्तर
1	मूल्यांकन की तारीख	
2	निर्दिष्ट करने का स्त्रोत	
3	बालक का फोटोग्राफ जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाएगा।	

बालक का विवरणः

4	बालक का नाम	
5	जन्मतिथि	
6	जन्म का स्थान	
7	आयु	
8	राष्ट्रीयता	
9	धर्म	
10	शिक्षा	
11	मातृभाषा	
12	वर्तमान पता	
13	आधार कार्ड संख्या	
14	संम्पर्क विवरणः– (क) लैड लाईन (ख) मोबाइल	
15	स्थापना विवरण यदि बालक संस्था से है (क)स्थापन की तारीख (ख)बालक का नाम एवं स्थायी पता (ग)परिवार छोडने का कारण	बालक का दत्तक ग्रहण नही किया गया है।

[3] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

16	स्थापन का कारण, यदि बालक संस्थान से है	माता अथवा माता पिता दोनों कारागार में है ☐
		माता पिता चिरकालिक बीमारी से पीडित है ☐
		निष्क्रिय परिवार (मादक पदार्थो का दुरूपयोग, घरेलू हिसा आदि ☐
		माता–पिता अलग होने की प्रक्रिया में हैं। ☐
		माता–पिता कानूनी अभिरक्षा के विवाद की प्रक्रिया में है
		प्राकृतिक आपदा
		अन्य

मैं.....सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि बालक .....के बारे में में इस प्रारूप में दी गई सूचना सहीं है।

हस्ताक्षर

स्थान .....

तारीख .....

..

नाम .....

पदनाम.....

प्रारूप 32[4]
[नियम 23(15)]

परिवार में पालन पोषण सम्बन्धी देखभाल अथवा सामूहिक पालन पोषण सम्बन्धी देखभाल का आदेश

श्री .....तथा श्रीमती .....का पुत्र/पुत्री (नाम एवं पता).....जिसकी आयु लगभग .....है को किसी परिवार की देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत है। श्री ..... तथा श्रीमती .....निवासी (पूरा पता एवं सम्पर्क नम्बर)..... को वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण सम्बन्धी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है ।

अथवा

बाल देखरेख संस्था (नाम एवं पता) .....को वैयक्तिक देखरेख योजना और बाल अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन–पोषण सम्बन्धी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है ।

बालक (नाम).....को उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम तथा सम्पर्क नम्बर) .....की देखरेख में .....अवधि के लिए पालन–पोषण देखभाल में स्थापन किया जाता है ।

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

[4] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

प्रारूप 33[5]
[नियम 23(16)]

पालन पोषण करने वाले परिवार/सामूहिक पालन पोषण देखभाल करने वाले संगठन द्वारा वचनबंध

मैं/हम .....निवासी, मकान नम्बर.....गली.....गॉव/शहर जिला.....राज्य... .....संगठन द्वारा .....(पता) पर चलाए जा रहे पालन–पोषण देखरेख गृह से सम्बद्व देखरेख प्रदाता एतद्‌ारा घोषित करता/करती हूँ/करते है कि मैं/हम निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो के अध्ययीन बाल कल्याण समिति.....के आदेशों के अनुसार ....(बालक का नाम) आयु .....की देखरेख की दायित्व संभालने का /की इच्छुक हूँ।/के इच्छुक है –

(i) यदि बालक का आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं/हम तत्काल समिति को सूचित करूगा/करूगी/करेगें ।

(ii) जब तक यह बालक मेरी/हमारी देखरेख में रहेगा तक तक मैं/हम उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथा संभव प्रयास करूगा/करूगी/करेगें और उसके समुचित देखरेख की व्यवस्था करूगा/करूगी/करेगें ।

(iii) उसके रोग ग्रस्त होने पर उसका निकटवर्ती अस्पताल में समुचित उपचार कराया जाएगा और समिति के समक्ष इसकी रिपोर्ट और उसके स्वस्थ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

(iv) मैं/हम पते में कोई परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करूगा/करूगी/करेगें ।

(v) मै/हम यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूँगा/करूँगी/करेगें कि बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो ।

(vi) मैं/हम, समिति द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते है ।

(vii) मै/हम जब कभी आवश्यक होगा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ /देते है ।

(viii) मै/हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण के बाहर जाने पर समिति को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ / देते है।

तारीख.....2020.....के .....दिन

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पता.....

आवदेक (कों) के हस्ताक्षर
(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)
अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

---

[5] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

प्रारूप –34[6]

[नियम 23(17)]

पालन पोषण देखरेख में बालक का अभिलेख

(क) मामला संख्या .....

(ख) बालक का नाम .....

(ग) आयु .....

(ध) लिंग .....

(ड) बाल देखरेख संस्था का नाम व पता, यदि कोई हो, जहॉ से बालक को पालन–पोषण देखरेख में दिया गया है । .....

(च) वैयक्तिक देखरेख योजना .....

(छ) निर्दिष्ट करने का कोई अन्य स्त्रोत .....

(ज) पालन पोषण देखरेख में स्थापन किए गए बालक का फोटो सहित विवरण, पालन पोषण देखरेख प्रदाता/ माता–पिता, जैविक माता–पिता यदि उपलब्ध हो का विवरण .....

(झ) स्थापन का विवरण, स्थापन की तारीख एवं अवधि (व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखरेख) .....

(त्र) जहां कहीं लागू हो फोटो सहित जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट .....

(ट) फोटो सहित पारिवारिक–व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट ----------

(ठ) बाल अध्ययन रिपोर्ट .....

(ड) बाल कल्याण समिति का पता .....

(ढ) बालक को पालन पोषण देखरेख में स्थापन करने वाली समिति के आदेश का विवरण .....

(ण) बालक का पालन पोषण करने वाले परिवार,..... जैविक परिवार,यदि उपलब्ध हो, के साथ किए गए प्रत्येक दौरे का अभिलेख (संस्था एवं प्रमुख विवरण)

(त) निगरानी, देखरेख योजना के अनुपालन की सीमा एवं गुणवत्ता, बाल विकास के

---

[6] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

महत्वपूर्ण लक्ष्य, बालक की शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई परिवर्तन सहित स्थापन की सभी समीक्षओं का रिकार्ड.....

(थ) स्थापन के विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख एवं कारण का रिकार्ड .....

(द) पालन पोषण करने वाले परिवार को बच्चे को देने की तारीख .....

(घ) प्रदान की गई वितीय सहायता, यदि कोई हो .....

(न) नियुक्त किए गए मामला कार्यकर्ता का नाम .....

प्रारूप–35[7]

[नियम 23 (18)]

पालन–पोषण करने वाले परिवारों/समूह पालन–पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण

(जो लागू हो उसे भरे)

(नवीनतम फोटो लगाएं)

निरीक्षण का तारीख : .....

(क) नाम.....

(ख) जन्मतिथि एवं आयु .....

(ग) लिंग .....

(ध) नियोजन की तारीख .....

1. पालन–पोषण करने वाले माता–पिता का विवरणः

(क) पालन–पोषण करने वाला माता–पिता का नाम .....

(ख) पता.....

(ग) सम्पर्क विवरणः .....

(1) लैंड लाइन : .....

(2) मोबाईल : .....

(ध) आधार कार्ड संख्या .....

(ड) माता–पिता का फोटो :

(नवीनतम फोटो लगाएं)

(नवीनतम फोटो लगाएं)

3- पोषक बालक के साथ बातचीत :

(क) परिवार का एक हिस्सा होते हुए बालक का अनुभव (क्या बालक की शारीरिक,भावनात्मक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित देखभाल हुई है, के संदर्भ में) वर्णन करे।

(i) स्वास्थ्य संसूचक

(क) स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति ☐ प्रसन्न एवं सुसमंजित

(ख) अस्वस्थता का कोई अभिलेख ☐ समंजन की प्रक्रिया में

(ग) बालक का किया जा रहा कोई अन्य उपचार ☐ कुसमंजित

---

[7] किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

(ii) भावनात्मक

(ख) बालक अपने अध्ययन में कैसा निष्पादन कर रहा है?

(i) बालक द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए ग्रेड/अंकों के संदर्भ में जॉच करें — हॉ ☐ नही ☐ कभी कभी ☐

(ii) पालन पोषण करने वाले माता–पिता बालक से उसके अध्ययन, अतिरिक्त सहगामी क्रियाओं के बारे में नियमित वर्तालाप करते है — हॉ ☐ नहीं ☐ कभी कभी ☐

(iii) क्या वे अभिभावक शिक्षक संध की बैठकों में भाग लेते है? — हॉ ☐ नहीं ☐ कभी कभी ☐

(ग) (i) माता–पिता (पालन–पोषण करने वाले) बालक के साथ अकेले अथवा अपने स्वयं के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं।

(ii) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते है?

☐ वार्तालाप करते समय
☐ भोजन करते समय
☐ खेलते समय
☐ टीवी देखते समय
☐ स्कूल जाते समय
☐ साथ–साथ गृह कार्य करते समय
☐ अन्य (उल्लेख करें)

(iii) क्या पोषण बालक पालन पोषण करने वाला माता पिता के साथ उन समस्याओं को साझा करता है जिनको वह या तो तो घर पर स्कूल में, पडोस में सामना कर रहा है या भावनात्मक रूप से खुश नहीं है ? — हॉ ☐ नही ☐ कभी कभी ☐

(घ) क्या बालक को पालन पोषण करने वाले माता पिता के बच्चों से समर्थन मिलता है? (क्या वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं) — हॉ ☐ नही ☐ कभी– कभी ☐

(ड.) क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बालक को उसके प्रति भेदभाव महसूस कराती हो? — हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी ☐

(च) क्या कोई घटना/घटनाऍ हुई है जिसने बालक को असहज बना दिया हो ?

(i) वह तरीका जिससे बालक को पालन–पोषण करने वाले माता–पिता/बड़े भाई–बहन/किसी अन्य सदस्य ने छुआ हो। हॉ नहीं

(ii) वार्तालाप जो पालन–पोषण करने वाले माता–पिता/ बड़े भाई– बहन/किसी अन्य सदस्य ने बालक के साथ किया हो। हॉ नहीं

(iii) कोई सामग्री–दृश्य/मुद्रित, जिसे बालक को देखने अथवा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया हो। हॉ नहीं

(iv) क्या बालक के साथ किसी भी समय यौन प्रहार अथवा दुर्व्यवहार किया था ? हॉ नहीं

*यदि उत्तर हॉ में है, बालक को हटाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए और उसे सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाए और बालक को चिकित्सा एवं मनो–सामाजिक उपचार दिया जाए।

**पालन–पोषण देखरेख प्रदान करने वालों और अभिभावकों के विरूद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाए।

***क्या उसी प्रकार का व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी किया जा रहा है ? तो जैविक बाल को भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमन्द बालक माना जाए और उचित कार्यवाही की जाए।

(छ) क्या बालक अपने मूल परिवार के साथ सम्पर्क रखता है (टेलीफोन, पत्रों, दौरे के द्वारा) उल्लेख करें हॉ नहीं

(ज) क्या आपको पालन–पोषण करने वाले माता–पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया है? हॉ नहीं

(झ) क्या आपके साथ इस तरीके के बात की गई है कि आप अपमानित महसूस करते है ? हॉ नहीं

(ञ) क्या आपसे घरेलू काम कराया जाता है ? हॉ नहीं

(ट) क्या पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के जैविक बच्चों से वही घरेलू काम कराया जाता है ? हॉ नहीं

---

5. पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के साथ बातचीत :

(क) परिवार में बालक के व्यवहार (भावनात्मक हित) के बारे में माता–पिता के विचार

- प्रसन्न एवं सुसंमजित
- समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित

(ख) घर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके समंजन के बारे में धारणा में

- ☐ प्रसन्न एवं सुसमंजित
- ☐ समंजन की प्रक्रिया
- ☐ कुसमंजित

(ग) आप बालक को अनुशासित कैसे बनाते है?

- ☐ बालक को समझाकर
- ☐ डांटकर, दण्ड देकर
- ☐ बालक को पीटकर
- ☐ अन्य तरीके (उल्लेख करें)

(घ) व्यवहार की क्या विशेषताएँ है जो चिन्ता का विषय है और आप अभिभावक के रूप में उनसे कैसे निपटते है ?

- ☐ सहयोग का अभाव
- ☐ समंजन का अभाव
- ☐ अन्तर्मुखी
- ☐ आक्रामक
- ☐ अभिव्यक्तिशील न होना
- ☐ कोई अन्य

(ड.) क्या आप पोषक बालक और जैविक बच्चों के साथ समय बिताते हैं ? विवरण दें।

हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी ☐

(च) बालक की शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं की प्रगति के बारे में विचार :

(i) बालक स्कूल में अच्छा कर रहा है हॉ ☐ नहीं ☐

(ii) यदि बालक स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, क्या आपने–

(क) बालक से, हॉ ☐ नहीं ☐

(ख) स्कूल के शिक्षक से कारणों का पता लगाया है हॉ ☐ नहीं ☐

(iii) क्या आप अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते है? कभी–कभी ☐

(छ) क्या पालन–पोषण करने वाले माता–पिता बालक की ओर से निर्णय लेते समय उससे परामर्श करते है ? हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी ☐

(ज) बालक पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के निर्णयों के प्रति अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दर्शाता है ?

☐ प्रसन्नता से निर्णय स्वीकार करना

☐ निर्णय स्वीकार करना लेकिन अप्रसन्न रहना

☐ निर्णय स्वीकार करने से मना करना और आक्रामक व्यवहार दिखाना

(झ) क्या पालन–पोषण करने वाले माता–पिता बालक के सामाजिक नेटवर्क के बारे में जानते है ? हॉ ☐ नहीं ☐

(ञ) पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों एवं शिक्षकों के साथ बालक के सामाजिक सम्बन्ध के बारे में विचार

☐ अच्छी एवं नियमित बातचीत

☐ आवधिक बातचीत

(ट) बालक के लिए उनकी क्या योजना है ? (लिखी जाए)

(ठ) क्या बालक अपने मूल परिवार के साथ सम्पर्क रखता है ? (टेलीफोन, पत्रों, भ्रमण के द्वारा) उल्लेख करें।

हॉ ☐ नहीं ☐

(ड) पोषक बालक के बैंक खाते का अभिभावक के रूप में कौन देखभाल करता है ?

---

6. पालन –पोषण करने वाले माता–पिता के जैविक बच्चों के साथ बातचीतः

(क) ऐसे कार्य जो वे पोषक बालक के साथ करते हैं

- ☐ भोजन करना
- ☐ खेलना
- ☐ टीवी देखना
- ☐ स्कूल जाना
- ☐ गृह कार्य साथ करना

(ख) क्या वे आपस में और पोषक बालक के साथ झगड़ा करते है ? यदि हॉ, कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे हल करते है। कृपया लिखें।

हॉ ☐ नहीं ☐ कभी–कभी ☐

(ग) आप केसा अनुभव करते है जब आपके माता–पिता पोषक बालक के प्रति प्यार, दुलार एवं अपनापन दिखाते है?

- ☐ प्रसन्न
- ☐ अप्रसन्न
- ☐ गुस्सा
- ☐ ईर्ष्या

---

7. स्कूल के शिक्षक के साथ बातचीत :

(क) स्कूल में बालक के शैक्षणिक निष्पादन के बारे में सूचना (यह देखने के लिए कि बालक ने कोई प्रगति की है, प्रगति कार्ड के साथ सत्यापित करें)

- ☐ अच्छा
- ☐ उचित
- ☐ संतोषजनक
- ☐ खराब

(ख) शिक्षक की टिप्पणी : यदि बालक ने उसके पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के साथ समंजन कर लिया है

☐ प्रसन्न एवं सुसमंजित
☐ समंजन की प्रक्रिया में
☐ कुसमंजित

(ग) क्या पालन–पोषण करने वाले माता–पिता अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेते है ?

हॉ ☐ नहीं ☐
कभी–कभी ☐

(घ) क्या वे बालक की पढ़ाई में रूचि रखते है ? (उसकी अकादमिक उपलब्धियॉ, शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ उसके सम्बन्धों के बारे में पूछकर)

हॉ ☐ नहीं ☐
उदासीन ☐

(ड.) स्कूल में बालक के व्यवहार के बारे में टिप्पणी (शिक्षकों, सहपाठियों के साथ उसके सम्बन्ध)

☐ प्रसन्न एवं सुसमंजित
☐ समंजन की प्रक्रिया में
☐ कुसमंजित

(च) स्कूल में बालक के कोई चिन्ता। यदि हॉ तो विवरण दें।

---

8. जन्मदाता माता–पिता के साथ बातचीत :

(क) क्या जन्मदाता माता–पिता ने अपने बालक के साथ सम्पर्क बनाए रखा हे (टेलीफोन पर बातचीत, पत्रों एवं दौरो के द्वारा) कितने अन्तराल पर ?

हॉ ☐ नहीं ☐
कभी–कभी ☐

(ख) क्या बालक उनसे मिलकर प्रसन्न था ?

हॉ ☐ नहीं ☐
☐ उनसे मुलाकात के समय अशांत

(ग) क्या बालक ने उसके समक्ष पोषण उसके देखरेख कर्ताओं/अभिभावकों/परिवार के बारे में कोई मुद्दा उठाया था ?

हॉ ☐ नहीं ☐

(घ) क्या उनकी बालक के हितों के बारे में पालन–पोषण करने वाले परिवार के साथ कोई बातचीत हुई है?

हॉ ☐ नहीं ☐
कभी–कभी ☐

(ड.) बालक को वापस प्राप्त करने के लिए परिवार की स्थिति

- ☐ परिवार इच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में है।
- ☐ परिवार की अनिच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में नही है।
- ☐ परिवार बालक को वापस प्राप्त करने का अनिच्छुक है।

(च) पालन–पोषण देखरेखकर्ताओं से बालक को वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें सहायता देने में सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से कोई सहायता प्राप्त हुई है (यदि हॉ, तो विवरण दें) हॉ ☐ नहीं ☐

(च) पालन–पोषण देखरेखकर्ताओं से बालक को वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें सहायता देने में सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से कोई सहायता प्राप्त हुई है (यदि हॉ, तो विवरण दें) हॉ ☐ नहीं ☐

---

9. पड़ोसियों के साथ बातचीत :

(क) पड़ोसी द्वारा किसी बालक के पालन–पोषण करने के बारे में जानकारी हॉ ☐ नहीं ☐

प्रारुप तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

प्रारूप–क[1]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

आवेदन पत्र

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दिये गए विज्ञापन के विरूद्ध पालन पोषण देखरेख करने वाले परिवार अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र।

फोटो पालन पोषण करने वाले अभिभावक–1	फोटो पालन पोषण करने वाले अभिभावक–2

अ) जिला बाल संरक्षण इकाई का विवरणः–

जिला बाल संरक्षण इकाई का नाम : .....

पता : .....

टेलीफोन : .....

फैक्स : .....

ई – मेल : .....

आवेदन जमा करने का दिनांक : .....

ब) आवेदक का विवरणः–

	पालन पोषण करने वाले अभिभावक–1	पालन पोषण करने वाले अभिभावक–2
नाम		
जन्म तिथि		
आयु		
शैक्षणिक स्थिति		
वैवाहिक स्थिति		
राष्ट्रीयता		
धर्म		
आधार नंबर		
व्यवसाय		
पता		
सम्पर्क नंबर		
जैविक बच्चों की संख्या		
वार्षिक आय		
मातृ भाषा		
अन्य भाषाओं की जानकारी		

[1] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

स) बच्चे को पालन पोषण देखभाल में लेने की प्राथमिकता :

क) आयु वर्ग

1) 6–9 वर्ष 2) 10–12 वर्ष 3) 13–18 वर्ष

ख) अन्य कोई प्राथमिकता

1) लिंग 2) धर्म 3) विकलांगता

ग) देखभाल का प्रकार

1) अल्पावधि ☐ 2) दीर्घावधि ☐

द) देखभाल करने की इच्छा रखने का कारण .....

.....

य) बच्चों के पालन पोषण देखभाल के लिए जैविक बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्य सहमत हैं –

हॉ ☐ नहीं ☐

र) हम सरकार/अभिकरण द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहमत हैं –

हॉ ☐ नहीं ☐

ल) हम बाल संरक्षण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता को हमारे घर में निगरानी दौरे में सहयोग करने और बैठकों में हमारे परिवार के सभी सदस्य उपलब्ध रहेगें आदि के लिए सहमत है।

हॉ ☐ नहीं ☐

दोनो दम्पतियों के द्वारा घोषणाः

हम..... और ..... घोषणा करते है कि हमारे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिया गया विवरण, हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो हमारे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाये।

दिनांक : दोनो दम्पत्तियों के नामः

स्थान : एवं दोनों के हस्ताक्षर :

प्रारूप–ख[2]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

पालन पोषण देखरेख के आंकलन हेतु प्रारूप

1. आवेदक का विवरण :

   नाम : ..... आयु : ..... व्यवसाय : .....

   पता : .....

2. बालक/बालकों का आयु वर्ग, जिन्हे पालन पोषण देखरेख में लेने के लिए अनुरोध किया है। (कृप्या, बालक के आयु वर्ग पर √ का निशान लगायें)

   6–8 वर्ष ☐

   8–10 वर्ष ☐

   11–12 वर्ष ☐

   12–14 वर्ष ☐

   14–16 वर्ष ☐

   16 –18 वर्ष ☐

3. परिवार, पड़ौसी एवं समुदाय का विवरण :–

4. आवेदक की पहचान का सत्यापन (निवास स्थान, रहने की अवधि, वैवाहिक स्थिति इत्यादि के विशिष्ट दस्तावेजों को दिनांक सहित देखें)

5. पुलिस रिकॉर्ड, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य की जॉच करना।

6. व्यक्तिगत संदर्भ (दोनो व्यक्तियों का) कितने समय से पहचानते है, आवेदकों के साथ कितने समय से रिश्ता/संबंध है, उनकी रूचि, प्रतिभा, आवेदकों का व्यक्तित्व, बालक(कों) की देखभाल करने के लिए उनकी क्षमता इत्यादि के संदर्भ के साथ बातचीत करना।

7. मूल्यांकन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का आंकलन

सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

[2] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

प्रारूप–ग–1[3]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

स्थापन से पूर्व पालन पोषण देखरेख में दिये जाने वाले बच्चे के परामर्श हेतु प्रारूप

(बच्चे के प्रत्येक परामर्श सत्र के दौरान इस प्रारूप को भरें)

1. प्रारंभिक विवरण :
   1) बालक का नाम : .....
   2) प्रकरण संख्या : .....
   3) दिनांक : .....
2. परामर्शदाता का विवरण :
   1) परामर्शदाता का नाम : .....
   2) आई.डी. संख्या : .....
   3) अन्य पहचान संबंधी सूचना : .....
3. बच्चे एवं उसके भाई–बहन के परामर्श का विवरण : निम्नलिखित को भरें
   1) नाम : ..... उम्र .....
   2) नाम : ..... उम्र .....
   3) नाम : ..... उम्र .....
4. परामर्श का स्थान : पता जहां पर परामर्श किया गया

5. परामर्श में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम जैसे :– (रिश्तेदार, भावी पालन पोषण करने वाले माता–पिता, स्टाफ आदि)

6. परिवार के गृह में अन्य बच्चे
   केवल लिंग, आयु एवं बच्चे के साथ संबंध (जन्म, पालन पोषण प्राप्त करने वाले, दत्तक एवं अन्य)

7. परामर्श सत्र में चर्चा किये जाने वाले मुद्दे/विषय–
   (भावी पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों को शिक्षित करने के बारे में कि वे एक पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों से क्या उम्मीद करते है)
   1. क्या बच्चा पालन पोषण देखभाल योजना के बारे में समझता है ?

      हॉ/नहीं

      (यदि नहीं, तो पालन पोषण देखभाल की अवधारणा, कानूनी पहलुओं और प्रमुख हितधारको जैसे डीसीपीयू, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), डीसीपीओ, सीडब्ल्यूसी, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति इत्यादि द्वारा की जाने वाले प्रक्रियाओं एवं उनकी भूमिकाओं आदि के बारे में समझायें)

2. बच्चे अपने वर्तमान स्थापन के बारे में कैसा महसूस कर रहा है ?
   उत्साहित/घबराया/डरा हुआ/आशंकित/उदासीन/अन्य (इसके अलावा कुछ और है तो कृपया समझायें)

---

[3] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

(उपरोक्त में से कोई भी, पालन पोषण देखभाल के विचार को समन्वय करने और किसी अन्य अवधारणा एवं गलत जानकारी के बारे में बच्चे के साथ कार्य करना)

3. क्या पालन पोषण देखभाल मे जाने वाले बच्चे को अपने अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी है ? हॉ/नहीं
(यदि हॉ तो विवरण लिखें)

(कृपया उसकी सुरक्षा के लिए सामान्य मूलभूत अधिकारों के बारे में समझायें। क्या आपने समझाया ? उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी ?)

4. क्या समुदाय में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बच्चे के साथ जुड़े रहने की इच्छा रखता है ?
हॉ/नहीं
(यदि हॉ तो विवरण लिखें)

5. यदि बच्चे का जैविक परिवार मौजूद है तो क्या बच्चा उनके साथ संबंध बनाए रखना चाहेगा?
हॉ/नहीं
(यदि हॉ, तो स्थापन प्रक्रिया में उन्हे (जैविक परिवार) भी शामिल करने के तरीकों को देखें। क्या उनको सूचीबद्ध किया गया है? यदि हॉ, तो आपकी अगली कार्यवाही क्या है?)

6. स्थापन/नियुक्ति की अनुशंसा :
अल्पावधि/दीर्घावधि
व्यक्तिगत/सामूहिक पालन पोषण देखभाल

7. समाजिक कार्यकर्ता या फार्म भरने वाले व्यक्ति की सामान्य टिप्पणियां

हस्ताक्षर
(सामाजिक कार्यकर्ता या
फार्म भरने वाले व्यक्ति के)

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति .....

प्रारूप–ग–2[4]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)
(पालन पोषण देखभाल स्थापन में)
पालन पोषण देखभाल करने वाले माता–पिता/देखभालकर्ता/पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए परामर्श हेतु प्रारूप
(बच्चे के प्रत्येक परामर्श सत्र के दौरान इस प्रारूप को भरे)

1. प्रारंभिक विवरण :
   1) बालक का नाम : .....
   2) प्रकरण संख्या : .....
   3) दिनांक : .....

2. परामर्शदाता का विवरण :
   1) परामर्शदाता का नाम : .....
   2) आई.डी. संख्या : .....
   3) अन्य पहचान संबंधी सूचना : .....

3. बालक एवं भाई–बहन के परामर्शदाता का विवरण : निम्नलिखित को भरें
   1) नाम : ..... उम्र .....
   2) नाम : ..... उम्र .....
   3) नाम : ..... उम्र .....

4. परामर्श का स्थान : पता जहां पर परामर्श किया गया

5. परामर्श सत्र में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम जैसे :– (रिश्तेदार, पालन पोषण प्रदान करने माता–पिता, स्टाफ)

6. स्थापन के प्रकार :–

7. घर/परिवार में अन्य बच्चे
   केवल लिंग, आयु एवं ब्चचे के साथ संबंध (जन्म, पालन पोषण प्राप्त करने, दत्तक एवं अन्य)

8. परामर्श सत्र में निम्न मुद्दो/विषयों पर चर्चा करें।

   1) क्या किसी सांस्कृतिक या सजातीय विचारों को चिन्हित किया जाता है, और उनके बारे में बताया गया है।
   .....
   .....
   2) क्या बच्चे का पालन पोषण देखरेख परिवार के समुदाय में स्वीकार किया जा रहा है ? यदि नही तो क्यों?

[4] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

.....

.....

3) स्वास्थ्य की स्थिति – क्या बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है?

.....

.....

4) क्या हाल में पालन पोषण देखरेख अभिभावक(कों) ने बच्चे की मनोदशा या व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा है?

.....

.....

5) क्या पालन पोषण करने वाले अभिभावक बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता या बारंबारता के बारे में कोई प्रश्न है?

.....

.....

6) जुडाव/लगाव – क्या बच्चा जैविक परिवार या भाई–बहन के बारे में सोचता है या उनके साथ मुलाकात करना चाहता है?

.....

.....

7) क्या हाल में बच्चे ने पालन पोषण करने वाले माता–पिता की मनोदशा या व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा है?

.....

.....

8) पालन पोषण करने वाले माता–पिता बच्चे के विचारों पर जवाब कैसे देते है?

.....

.....

9) बच्चे और जैविक परिवार के बीच संबंध बनाये रखने के लिए स्थापन प्रदाता क्या प्रयास कर रहे है? क्या प्रयास किया है और क्या नहीं कर पायें? उन्हे (स्थापन प्रदाता) क्या मदद की आवश्यकता है? (बच्चे ने जैविक परिवार से कितनी बार मुलाकात की है या उसकी जैविक माता–पिता से अंतिम मुलाकात कब हुई, बालक को जैविक माता–पिता से मुलाकात के समय बच्चे के साथ कौन था)

.....

.....

10) शिक्षा – बच्चा विद्यालय मे कैसा प्रदर्शन कर रहा है? सामाजिक और अकादमिक मुद्दो पर विचार करें। सफलता हासिल करने के लिए बच्चे और परिववार को क्या आवश्यकता है? यदि उचित है, तो विद्यालय के बाद के कार्यक्रम और बच्चे की देखभाल करने के समय के बारे में पूछें।

.....

.....

11) बच्चे की स्वयं की सोच के अनुसार उसके भविष्य की क्या योजना है?

.....

.....

12) पालन पोषण करने वाले परिवार में सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण – क्या बच्चा घर में सुरक्षित महसूस करता है?

.....

.....

13) क्या सुरक्षित और उपयुक्त अनुशासन किया जाता है?

.....

.....

14) क्या बच्चों के लिए घर में पर्यवेक्षण उचित स्तर पर किया जाता है?

.....

.....

15) बच्चे का व्यवहार और अभिभावकीय कौशल – बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कोई भी बच्चा चुनौतीपूर्ण/चिंताजनक व्यवहार प्रदर्शित करता है?

.....

.....

16) पालन पोषण करने वाले माता–पिता, बच्चे के व्यवहार को सफल और सक्षम बनाने के प्रबंधन मे कैसा महसूस करते है? उसके लिए क्या करते हैं/क्या नहीं करते है?

.....

.....

17) पालन पोषण करने वाले माता–पिता ने मित्रों, विस्तारित परिवार, सहकर्मियों, विद्यालय की मदद और सलाह के लिए क्या कदम उठाये है?

.....

.....

18) क्या बच्चे के घर के आस–पास सामाजिक/भावनात्मक सहयोग और जुड़ाव रहता है?

.....

.....

चिन्हित की गई समस्याओं का सारांश –

बच्चे द्वारा बताई जाने वाली आवश्यकता/प्रश्न (सुरक्षा के मुद्दों सहित) –

.....

.....

पालन पोषण करने वाले परिवार द्वारा बताई जाने वाली आवश्यकता/प्रश्न –

.....

.....

प्रारूप भरने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या व्यक्ति द्वारा सामान्य टिप्पणी –

.....

प्रारूप भरने वाले सामाजिक
कार्यकर्ता/व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रारूप–ग–3[5]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

(पालन पोषण देखभाल में जाने वाले बच्चों के जैविक माता–पिता के परामर्श हेतु प्रारूप)
जैविक परिवार के प्रत्येक दौरे के दौरान इस प्रारूप को भरें

1. बालक का नाम : .....
2. जैविक माता–पिता का नाम : .....
3. पता : .....

कृप्या निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखें:

1. क्या जैविक माता–पिता/परिवार के सदस्य बच्चे के साथ, सम्पर्क में रहना चाहते है?

   .....

   .....

2. क्या जैविक माता–पिता या परिवार के सदस्यों की स्थिति बदल गई है?

   .....

   .....

3. क्या जैविक माता–पिता बच्चें की देखभाल करना चाहते है?
   (यदि हॉ, तो कृपया केस वर्कर, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल कल्याण समिति को अनुशंसा करें)

   .....

   .....

4. जैविक माता–पिता या परिवार के सदस्यों के साथ बच्चा कैसी प्रतिक्रिया करता है? क्या वे जुड़ने की इच्छा रखते है?

   .....

   .....

5. जैविक माता–पिता/परिवार के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है?

   .....

   .....

6. जैविक माता–पिता/परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत देखरेख योजना में भाग लिया है? यदि नहीं, तो क्यों और क्या वे भाग लेने में रूचि रखते है?

   .....

   .....

7. अन्य लेख और टिप्पणियां लिखें:

   .....

   .....

8. अगला कदम/अगला दौरा कब तय किया गया है।

   .....

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

[5] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

प्रारूप–ग–4[6]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

(पालन पोषण करने वाले माता–पिता और पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के मिलान की प्रक्रिया हेतु प्रारूप)

** मिलान प्रक्रिया के दौरान नियमित भरना और पत्र के साथ बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करना।

1. प्रारंभिक जानकारीः
   1) केस का नाम और नंबर : .....
   2) प्रपत्र भरने का दिनांक : .....
   3) बच्चा एवं भाई–बहन का मिलान :
   नाम : ..... उम्र .....
   नाम : ..... उम्र .....
   नाम : ..... उम्र .....

2. संम्भावित मिलान की जानकारीः
   1) नामः .....
   2) उपयुक्त व्यक्ति घोषित किया गया है? हॉ/नहीं
   (यदि नहीं तों मिलान क्यों हो रहा है?)
   3) पालन पोषण करने वाले माता–पिता का मिलान कैसे किया गया था?

3. सामाजिक कार्यकर्ता/व्यक्ति, प्रपत्र को इस सोच के साथ भरें कि यह एक उपयुक्त मिलान क्यों है?
   .....
   .....

4. क्या जैविक परिवार और अन्य रिश्तेदारों ने इनकार कर दिया है, यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण है?
   .....
   .....

5. क्या बच्चे से जुड़े सभी सुरक्षित और उपयुक्त वयस्कों ने इनकार कर दिया है, यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण है?
   .....
   .....

6. यदि नहीं, उपर्युक्त दोनों, जो अन्य देखरेखकर्ताओं द्वारा माना गया, बच्चों के साथ मिलान क्यों नहीं किया गया?
   .....
   .....

7. उपरोक्त बैठकों के दौरान पालन पोषण करने वाले माता–पिता के लिए बच्चे की प्रतिक्रिया क्या है?
   .....
   .....

[6] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

8. उपर्युक्त दौरे के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा चिन्हित किये गये जोखिमों के बारे मे उनके विचार क्या है?

.....

.....

9. चिन्हित किये गये जोखिमों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की योजना क्या है?

.....

.....

10. बच्चे से मिलने के बाद यह सुनिश्चित करना कि क्या अतिरिक्त सेवाएं आवश्यक है, जिससे बच्चे की जरूरत पूरी होगी?

.....

.....

11. जहां बच्चे के लिए कोई स्थापन चिन्हित नहीं किया गया है, तो बच्चे के भविष्य की क्या योजना है?

.....

.....

12. सामाजिक कार्यकर्ता का अन्तिम निर्णय क्या है?

.....

.....

हस्ताक्षर
(संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थागत देखरेख)

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।

प्रारूप–घ–1[7]

निगरानी निर्देश (मॉनीटरिंग टूल्स)

(जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए)

बाल कल्याण समिति को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

(एस.सी.पी.सी) को प्रतिलिपि भेजना।

1	जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए क्या गतिविधियां की गई? प्रकार और मामलों की संख्या निर्दिष्ट करें	
2	पालन पोषण कार्यक्रम के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ पहचाने गए और अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या? पहचान की गई अधिकृत की गई	 ☐ ☐
3	जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबंधित क्या जानकारियां है? जानकारी के प्रकार का विस्तृत विवरण लिखें	
4	क्या आपने पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम पर जिले में हितधारकों के लिए एडवोकेसी हेतु गतिविधियों का आयोजन किया है? यदि हां, तो एडवोकेसी के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....
5	क्या आपने किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है? यदि हां, तो प्रशिक्षण के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....
6	क्या आपने क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है? यदि हां, तो क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....
7	पालन पोषण करने वाले माता–पिता/अभिभावकों के लिए पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम में देखरेख करने हेतु महीने में कितने विज्ञापन जारी किये गयें? क्या इसके लिए एक रोस्टर तैयार किया गया है?	
8	क्या आप भावी पालन पोषण करने वाले माता पिता या अभिभावकों के आंकड़े संधारित करते है? यदि हां, तो विवरण दें।	हां ☐ नहीं ☐
9	आधार नंबर लिंक एवं रजिस्टर करने से कितने पालन पोषण करने वाले अभिभावक और बच्चों को मदद मिली है? संख्या दर्ज करें	☐

[7] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

10	आप जिले में पालन पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन कैसे करते है? उसकी बारंबारिता भी लिखे जिससे निगरानी करते है।	
11	आपने एक या अधिक कारणों सहित बाल कल्याण समिति को किसी पालन पोषण स्थापन को समाप्त करने की सिफरिश की है? यदि हां, तो मामलों की संख्या एवं कारण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....
12	क्या आपने पालन पोषण देखरेख का विस्तार के लिए किसी भी मामले की सिफारिश की है? यदि हां, तो मामलों की संख्या एवं कारण लिखें	हां ☐ नहीं ☐ .....

13. कोई अन्य टिप्पणी :–

.....

.....

14. बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा टिप्पणियां :–

.....

.....

हस्ताक्षर

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ)

प्रारूप–घ–2[8]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

मॉनिटरिंग टूल

(दुर्व्यवहार, शोषण और दुरूपयोग के बच्चों द्वारा शिकायतों की जांच और हस्तक्षेप)

क. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) के साथ परिचर्चा

1. क्या आप पालन पोषण के मुद्दों पर प्राप्त शिकायतों को अभिलेख पुस्तिका/रोजनामचा में दर्ज करते है?	1. हॉ	2. नहीं
2. दर्ज शिकायतों की संख्या (शिकायतकर्ताओं के अनुसार संख्या निर्दिष्ट करें)		
3. दर्ज शिकायतों की संख्या (जिसने शिकायत पंजीकृत की है उसके अनुसार संख्या निर्दिष्ट करें)	शिकायतें पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे– पालन पोषण करने वाले माता–पिता– डीसीपीओ– एसएफसीएसी– सीडब्ल्यूसी– एसएसए– चाइल्ड लाइन– वकील– शिक्षक– अन्य निर्दिष्ट–	<u>संख्या</u>
4. प्राप्त शिकायतों की प्रकृति (प्रकृति और संख्या को निर्दिष्ट करें)	क. दुर्व्यवहार का आरोप ख. आपराधिक आरोप ग. पालन पोषण देखरेख गृह में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दौरा नहीं करना घ. सीपीओ के बारे में शिकायत ड. सुविधाओं में कमी (जैसे खाना, रहना इत्यादि)	
5. शिकायतों की संख्या जिस पर संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा कार्यवाही की गई		
बाल संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत) के विरूद्ध शिकायत के मामले में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई?		
विवादों का विभिन्न समूहों में की गई कार्यवाही की प्रकार का विवरण		
पंजीकृत शिकायतों की स्थितिः		
शिकायतों की संख्या जिनका समाधान किया गया		

[8] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

शिकायतों की संख्या जो लंबित है	
शिकायतों की संख्या जो प्रक्रिया में है	
मामलों की संख्या जिनमें अनुवर्तन (फोलो–अप) की आवश्यकता है	
शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही होना लंबित है	

6. कोई अन्य टिप्पणीः–

.....

.....

7. मूल्यांकनकर्ता द्वारा अन्य अवलोकनः–

.....

.....

.

हस्ताक्षर

नाम .....

प्रारूप–ड–1[9]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

शिकायत प्रपत्र

दिनांक : .....

I. शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम : .....

II. पता : .....

III. बच्चे का विवरण, यदि परिचित हो :–

a) नाम : .....

b) लिंग : .....

c) आयु : .....

d) जाति : .....

e) धर्म : .....

IV. बच्चे के पालन पोषण करने वाले माता–पिता कौन है? (यदि आप इन उत्तरों का जानते हैं तो यथासंभव अधिक जानकारी भरें)

a) नाम : .....

b) पता : .....

c) राज्य : .....

d) पिन कोड : .....

e) फोन नम्बर : .....

f) ई–मेल : .....

V. शिकायत की प्रकृति का विवरण (यानी पालक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पालन पोषण देखरेख गृह का दौरा न करना इत्यादि)

.....

.....

VI. अनुरोध (कार्यवाही / प्रतिक्रिया / परिणाम) :–

.....

.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

निम्नलिखित में से किसी को भी शिकायत की जा सकती है:–

1. अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति
2. जिला बाल संरक्षण अधिकारी,
3. जिला प्रशासन से संबंधित विभाग

[9] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

प्रारूप–ड़–2[10]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

जांच–प्रारूप

इस दस्तावेज को पालन पोषण देखरेख शिकायत प्रपत्र के साथ संलग्न करना चाहिए।

1. शिकायत प्राप्ति की तिथि : .....
2. शिकायत प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम : .....
3. शिकायत किस कार्यालय में प्राप्त हुई थी : .....
4. शिकायत संख्या दर्ज करें : .....
5. जांच प्रभारी व्यक्ति का नाम और पदनाम : .....
6. की गई कार्यवाही : .....
7. कार्यवाही का परिणाम : .....
8. अनुवर्तन (फोलो–अप) कार्यवाही : .....
9. अनुवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है : .....
10. अनुवर्तन की तिथि : .....
11. आगामी अनुवर्तन की तिथियां : .....

दुर्व्यवहार या उपेक्षा के संदिग्ध बच्चे की तत्काल जरूरतों की पूर्ति हेतु चाइल्डलाइन–1098 या पुलिस को तुरन्त फोन करें।

हस्ताक्षर

(जांच प्रभारी)

[10] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

प्रारूप–च[11]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

केस विजिट प्रारूप (Case Visit Template)

1. प्रारंभिक विवरण :–
   1. केस नंबर : .....
   2. बच्चे का नाम : .....
   3. दौरे का दिनांक : .....
   4. पालन पोषण देखरेख करने वाले माता–पिता का नाम : .....
   5. परिवार में रहने वाले अन्य वयस्कों व्यक्तियों के नाम, जिनके साथ आउटरीच कार्यकर्ता या संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा वार्तालाप किया गया।

      क. : .....

      ख. : .....

      ग. : .....

2. अवलोकन :–

   i. परिवार में बदलाव :–

      टिप्पणी :– .....

      .....

      .....

   ii. पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ संबंध :–

      टिप्पणी :– .....

      .....

      .....

   iii. सांस्कृतिक और विशिष्ट सांस्कृतिक विचार :–

      टिप्पणी :– .....

      .....

      .....

   iv. सामाजिक सहयोग और राहत :–

      टिप्पणी :– .....

      .....

      .....

[11] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

v. सामाजिक सहायता और राहत :–
टिप्पणी :– .....
.....
.....

vi. सेवाएं और प्रशिक्षण :–
टिप्पणी :– .....
.....
.....

vii. पालन पोषण देखरेख गृह में सुरक्षा और पर्यवेक्षण :–
टिप्पणी :– .....
.....
.....

viii. बच्चे का व्यवहार और अभिभावकों की कुशलता :–
टिप्पणी :– .....
.....
.....

ix. बच्चे की शिक्षा/विद्यालय :–
टिप्पणी :– .....
.....
.....

x. बच्चे और पालक परिवार की शारीरिक और मानसिक स्थिति/जरूरतें :–
टिप्पणी :– .....
.....
.....

xi. विजिट के दौरान जैविक परिवार और अभिभावकों के साथ वार्तालाप साझा करना :–
टिप्पणी :– .....
.....
.....

3. क्या आपने बच्चे के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने में समय व्यतीत किया?

हां ☐ नहीं ☐

4. यदि बातचीत नहीं की गई तो कारण बतायें

.....

.....

.....

द्वारा तैयार किया गया : .....

(सामाजिक कार्यकर्ता, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख)

दिनांक : .....

प्रारूप–छ[12]

(मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा–निर्देश, 2020)

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) सामग्री

1. **देखरेख प्रदानकर्ता/पालन पोषण करने वाले माता–पिता के रूप में चुनौतियां–**
बच्चे के लिए अपने परिवार से अलग होना एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना होती है, जिसे बच्चा अनुभव या महसूस कर सकता है, इसलिए एक देखरेख प्रदानकर्ता/पालन पोषण करने वाले माता–पिता के रूप में अनेक चुनौतियां होती है तथा उच्च स्तर की वचनबद्धता आवश्यक है। दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा से प्रभावित बच्चे एक चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं तथा उन्हें उच्च स्तर की शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता की आवश्यकता होती है।

अन्य चुनौतियों में निम्नलिखित सम्मिलित है––

- जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित समस्याएं
- आपातकाल के दौरान अपर्याप्त सहयोग
- बच्चों की संयुक्त आवश्यकताओं के संबंध में बातचीत करने के दौरान तनाव प्रकट करना।
- समस्याजनक व्यवहार या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सूचना और/या प्रशिक्षण की कमी।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी।
- जैविक माता–पिता के या जैविक माता–पिता एवं बच्चों के मध्य विवादों को निपटाने में समस्याएं।
- बच्चे/किशोर के माता–पिता से पुनः मिलन या किसी अन्य पालन पोषण देखरेख मे स्थापन के समय बच्चे को पृथक करना।

2. **देखरेख प्रदानकर्ता/पालन पोषण करने वाले माता–पिता के लिए सहायक बिन्दु–**

देखरेख प्रदानकर्ता एवं पालन पोषण करने वाले माता–पिता के लिए पालन पोषण देखरेख की चुनौतियों से निपटने में कुछ सहायक बिन्दु निम्नानुसार है–

- पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे के बारे में जानना।
- बच्चों की क्षमताओं एवं जरूरत के क्षेत्रों की पहचान करना।
- बच्चे की किसी विशेष आवश्यकता के बारे में जागरूक करना।
- दैनिक दिनचर्या एवं सीमाएं निर्धारित करना (उदाहरणार्थ खाने एवं सोने का समय) तथा बच्चे का समय पर नये परिवार में व्यवस्थित एवं परिवार के साथ परिचित होने के लिए इस दिनचर्या कों धीरे धीरे लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
- यदि बच्चा यह पता लगाने के लिए आपका परीक्षण करता है कि आप कितने ईमानदार एवं धैर्यशील है, उस समय धैर्य रखें।

[12] फोस्टरकेयर मॉडल गाईडलाईन 2016।

- स्थिति के अनुसार आपको बहुत समझदार होने तथा ऐसा अधिक से अधिक बच्चे को दिखाने की आवश्यकता है, ताकि वह आप पर भरोसा कर सके।
- यदि घर में आपके स्वयं के बच्चे है तो आपको पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की जरूरत को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखना होगा एवं बच्चे को आश्वासन देना होगा कि परिवार में उसका स्वागत है।
- जब आप एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता–पिता बनने का निर्णय लेते है, तो यह विचार करना महत्वपूर्ण कि आपका परिवार इसके बारे में कैसा महसूस करेगा तथा जहां तक संभव हो, तो ऐसे निर्णय लेने में परिवार को शामिल करें।
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की उचित अपेक्षाओं को जानने हेतु बच्चे के स्थापन को स्वीकार करते समय अपने केस वर्कर के साथ सम्भावित मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक है। केस वर्कर के साथ सम्पर्क बनाये रखना भी आवश्यक है।
- यदि उपलब्ध है तो आपके द्वारा स्थानीय सेवा के साथ–साथ सूचना संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, यह एक पालन पोषण करने वाले माता–पिता को सहायता समूह से जुड़ने में मदद कर सकता है। यदि कोई स्थानीय समूह उपलब्ध नहीं है, तो आपके केस वर्कर द्वारा आपको ऑनलाइन सहयोगी समूह संदर्भित किया जा सकता है।

3. **पालन पोषण करने वाले माता–पिता होने का प्रतिफल (रिवॉर्ड)–**

पालन पोषण करने वाले माता–पिता होना, अत्यधिक अपेक्षा रखने वाला एवं थकान भरा कार्य हो सकता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार है–

- बच्चों को सुरक्षित रखने एवं उसे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- एक देखभाल समूह के अत्यधिक मूल्यांकन एवं सहायक सदस्य के रूप में होना।
- अपने सामाजिक एवं व्यक्तिगत संपर्क का विस्तार करना।
- अपने अभिभावकीय (पेरेन्टिंग) कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि करना तथा बच्चों के विकास से संबंधित नये तरीको को विकसित करने में अन्य माता–पिता की मदद करना।

4. एक पालन पोषणकर्ता बनने के चरण–

चरण 1.	जानकारी/विज्ञापन का अध्ययन	• इसमें एक पालन पोषणकर्ता होने के बारे में सामान्य जानकारी शामिल होगी। • सामग्री पढ़ने के बाद एवं यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आपको एक सूचना सत्र में भाग लेना चाहिए। • यदि आप अनिश्चित है कि आप एक पालन–पोषणकर्ता के रूप में उपयुक्त पात्र होंगे, या नही ंतो जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय को फोन करे।
चरण 2.	सूचना सत्र में भाग लेना	• सूचना सत्र में आप जिला बाल संरक्षण इकाई के अनुभवी कर्मचारियों से मिलेंगे तथा आपको प्रश्न पूछने एवं विभिन्न प्रकार के पालन पोषण देखरेख के बारे में जानने का अवसर मिलेगा
चरण 3.	रूचि की अभिव्यक्ति	• यदि आपने एवं आपके परिवार ने अगला कदम उठाने का फैसला कर लिया है, तो एक

		आवेदन पत्र को भर कर जिला बाल संरक्षण इकाई को वापस भेजें।
चरण 4.	गृह दौरा	• जिला बाल संरक्षण इकाई का एक कर्मचारी आपको फोन करके आपसे एवं आपके परिवार से मिलने का समय निश्चित करने के लिए कहेगा। यह हमारे लिए आपके बारे में अधिक जानने एवं आपके घर को देखने का अवसर है। यहां यह आपके लिए पालन पोषण के बारे में अधिक जानने का अवसर है। यदि आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते है, तो कर्मचारी को आपको एक आवेदन पत्र देना होगा।
चरण 5.	जॉच/छानबीन	• यह आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय को भेजा जायेगा। इस आवेदन पत्र में आपसे आपके एवं आपके परिवार की पृष्ठभूमि के विवरण के बारे में पूछा जायेगा। • आपके आवेदन के एक भाग में जिला बाल संरक्षण इकाई को पुलिस एवं विभाग की जांच, निर्णयकर्ता के संपर्क करने तथा आपके चिकित्सक से स्वास्थ्य रिपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति शामिल है।
चरण 6.	मूल्यांकन	• जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जांच हेतु कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद मूल्यांकन शुरू किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई के किसी कर्मचारी द्वारा आपसे एवं आपके परिवार से मिलने हेतु अनेक बार आपके घर दौरे (विजिट) किये जायेंगें। • आपके द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ मिलकर तय किया जायेगा कि आप किस प्रकार पालन पोषण देखरेख करना चाहते है तथा किस आयु एवं लिंग के बच्चे आपकी जीवनशैली के अनुसार सर्वोत्तम है। • जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आपकी एक पालन पोषणकर्ता होने की तैयारी की क्षमता एवं योग्यता का निम्नानुसार आकलन किया जायेगा– ○ एक दल (टीम) के भाग के रूप में कार्य करना। ○ एक पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की भावनात्मक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया करना। ○ एक दुर्व्यवहार मुक्त एवं सुरक्षित घर प्रदान करना एवं ○ एक पालन पोषणकर्ता के रूप में सीखने एवं विकास करने की

		जिम्मेदारी लेना।
चरण 7.	प्रशिक्षण	• आपको प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने हेतु तैयार रहना आवश्यक होगा। • आप इन सत्रो में सीखेंगे कि बच्चों ने पालन पोषण देखरेख में क्यो प्रवेश लिया एवं उनके द्वारा अनुभव की गई समस्याएं, साथ–साथ आप एवं अन्य सहयोगी की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे।
चरण.8	अनुमोदन	• जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारी द्वारा बाल कल्याण समिति एवं प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। इसके परिणामस्वरूप आपको एक पालन–पोषणकर्ता बनना चाहिए या नहीं, की अनुशंसा की जायेगी। • यदि आप अनुमोदित कर दिये जाते है, तो आपको एक पत्र प्राप्त होगा एवं बाल कल्याण समिति के साथ आपसे बंध पत्र पर हस्ताक्षर की मांग की जायेगी। • इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा हस्तक्षेप होगा तथा इसमें 3 माह का लंबा समय लिया जा सकेगा। लेकिन हमारे लिए जानकारी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप अन्य लोगों के बच्चों के लिए उपयुक्त, सुरक्षित एवं ध्यान रखने योग्य है। • यदि आप अनुमोदित नहीं होते है, तो भी आप अन्य माध्यमों से भी सहायता कर सकते है। आप स्वयंसेवक के रूप में अन्य माध्यमों से सहायता करने में सक्षम हो सकते है।